डॉ. प्रिय रंजन त्रिवेदी द्वारा
राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन हेतु सुझाव

युवा विकास नीति

1.1 सिद्धान्त

हमारा विश्वास है कि भारत के युवाओं के विकास हेतु निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:-

(क) शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा।

(ख) स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण।

(ग) कौशल विकास तथा उद्‍यमिता सम्बन्धी मार्गदर्शन।

(घ) समुचित आवास तथा पर्यावास की सुविधा।

(ङ) ज्ञान के अनुसार रोजगार।

(च) सांस्कृतिक एवं अन्य सुविधाएँ।

(छ) परिवहन की उचित व्यवस्था।

(ज) बिना किसी रोक टोक तथा रूकावट के भ्रमण।

(झ) मुफ्त स्वास्थ्य सेवा।

(ञ) सुशासन तथा प्रशासन में रूचि।

(ट) राजनैतिक प्रशिक्षण।

(ह) नीति निर्धारण में भूमिका।

1.2 उद्देश्य

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उद्देश्य इस प्रकार हैं

(क) केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तरों पर युवाओं की राय लेने पर बल देना।

(ख) युवा परामर्शदात्री समितियों का गठन कर युवाओं से समेकित विकास सम्बंधी राय लेकर उचित निर्णय लेना।

(ग) सोलह वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं को वोट देने का अधिकार देना क्योंकि इक्कसवीं सदी के सोलह वर्ष के युवा को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

1.3.1 बेरोजगारी

हम निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान देंगे:

(क) एक राष्ट्रीय रोजगार नीति की व्यवस्था।

(ख) स्थानीय रोजगार एवं उद्‍यमिता समितियों का गठन।

(ग) पर्यानुकूलित रोजगार सृजन पर बल।

1.3.2 शिक्षा तथा प्रबोधन

हमारी शिक्षा पद्धति बौद्धिक विकास पर आधारित होना चाहिए। साथ ही साथ कौशल विकास पर बल देते हुए रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विकास होने सम्बंधी कार्यक्रम प्रारम्भ होने चाहिए।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगाः

(क) पाठ्यक्रम सामग्री तथा प्रशिक्षण सम्बंधी उपयुक्त तकनीक का प्रयोग।

(ख) विद्‍यालयों में समुचित शैक्षिक वातावरण का विकास।

(ग) प्रशिक्षण एवं रोजगार पर विद्‍यालय स्तर से ही बल।

(घ) कौशल निर्माण तथा उद्‍यमिता विकास सम्बंधी प्रशिक्षण।

(ङ) मूल्यपरक शिक्षा पर जोर देकर नागरिक शास्त्र तथा धरती माता संरक्षण पर बल।

1.3.3 युवाओं के विकास हेतु न्यायिक व्यवस्था

ऐसा देखा गया है कि युवाओं के संरक्षण हेतु उचित न्यायिक व्यवस्था की कमी है। उन्हें उनके न्यायिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। युवाओं पर अत्याचार के विरूद्ध उचित न्याय होना चाहिए।

अतएव हमें निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए:

(क) बाल एवं शिशु विकास हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूरो।

(ख) बाल एवं युवा न्याय व्यवस्था का विकास।

1.3.4 स्वास्थ्य

युवाओं के स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधाओं पर शीघ्रातिशीघ्र काम होना चाहिए क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य से ही युवा पीढ़ी के लोग राष्ट्र सेवा कर पायेंगे। अतः स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तरों पर अनिवार्य पाठ्यक्रम होने चाहिए। युवाओं के बीच पाये जा रहे आत्महत्या या कभी-कभी उनकी दिमागी हालत में पतन के कारणों पर भी विचार होना चाहिए। उन्हें घातक बीमारियों जैसे एच.आई.वी./एड्स सम्बंधी चेतावनी देकर उन्हें प्रबोधित किया जाना चाहिए कि वे आगे चलकर अपनी जीवनशैली वैसी रखें जिससे वे रोगमुक्त जीवन व्यतीत कर पायें।

1.3.5 आवास

भारतवर्ष में आवासहीन युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह विचार का विषय होना चाहिए। बिना आवास के वे अच्छी शिक्षा से वंचित हो सकते हैं तथा इस प्रकार उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अतएव केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को युवाओं के लिए आवासीय सुविधा जिसमें सह-आवास भी शामिल है, मिलनी चाहिए।

1.3.6 पर्यावरण

युवाओं के बीच धरती माता संरक्षण तथा पर्यावरण विकास पर बल देते हुए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी स्तरों पर युवाओं को प्रदूषण नियंत्रण पर काम करते हुए वैकल्पिक उर्जा तथा वृक्षारोपण सम्बंधी नये विचारों से पूरे समाज को अवगत करना चाहिए। प्रतिपालनीय कृषि, वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री तथा वानिकी/उद्यानिकी क्षेत्रों में भी युवाओं की भूमिका होनी चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक सेवा नीति

1.1 सिद्धान्त

यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों यानि बुजुर्गों को उचित अधिकार मिले ताकि वे स्वस्थ तथा सम्पन्न रहकर शेष जीवन व्यतीत करें। केन्द्र एवं राज्य सरकारों से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जड़ा-सेवा के क्षेत्र में युवाओं का प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी के लोग बुजुर्गों की सेवा कर सकें।

1.2 लक्ष्य

बुजुर्गों के अधिकारों को सरकारी नीतियों के माध्यम से उन्हें मिलना चाहिए। बुजुर्गों के

लिए आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, खेलकूद, व्यायाम, सुरक्षा, भोजन, वाचनालय, पुस्तकालय, परिवहन इत्यादि प्राप्त होने चाहिए ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह बसर कर सकें।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

1.3.1 हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) बुजुर्गों के लिए समुचित वातावरण का निर्माण।

(ख) जल्द सेवानिवृत होने का अधिकार।

(ग) सेवानिवृत लोगों के लिए पुनर्नियोजन।

(घ) बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा।

(ङ) बुजुर्गों के लिए आवासीय सुविधा।

(च) बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सेवा।

(छ) बुजुर्गों के लिए परिवहन सेवा।

महिलाओं के कल्याण हेतु नीति

1.1 सिद्धान्त

हम सभी यह मानते हैं कि:

(क) महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए।

(ख) महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु नीति बननी चाहिए ताकि उन्हें भी पुरुषों की तरह समान अधिकार मिल सकें।

(ग) नीति निर्धारण में महिलाओं की समान भूमिका हो।

(घ) महिलाओं पर अत्याचार तथा उनके बीच गरीबी उन्मूलन हेतु उचित बदलाव तथा मनोवृत्ति परिवर्तन पर बल देना होगा।

(ङ) महिलाओं की जीवनशैली, स्वास्थ्य, उन पर आश्रित बच्चों की देख-रेख इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए।

(च) महिलाओं को भी पुरुषों की तरह शिक्षण एवं प्रशिक्षण का अधिकार मिलना चाहिए।

1.1.1 महिला एवं हिंसा

सभी महिलाओं को अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहने का अधिकार है। साथ ही साथ उन्हें सड़कों पर या अपने कार्य स्थल पर बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार है। उन पर हो रहे अत्याचारों पर अविलम्ब रोक लगाना आवश्यक है।

1.1.2 महिला एवं नग्नता

हमें महिलाओं एवं बच्चों के नग्न तस्वीरों या उन पर बनाये गये फिल्मों जिसमें उन्हें नग्न दिखाया जाता है, अविलम्ब रोक लगाया जाना चाहिए।

1.1.3 महिला एवं शिक्षा

हमें महिलाओं तथा बालिकाओं के बीच साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा कौशल निर्माण एवं विकास पर नीति बनाकर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहिए ताकि वे अपने-अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

1.1.4 महिला एवं पर्यावरण

महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित करने हेतु नीति निर्धारित करनी चाहिए।

1.1.5 महिला एवं कला

महिलाओं के बीच कलात्मक विकास हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिए

ताकि कला के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास भी संभव हो सके।

1.1.6. महिला एवं खेल

महिलाओं को भी पुरुषों की तरह खेल-कूद का समान अवसर मिले। इसके लिए उन्हें क्रीड़ा शिक्षण की व्यवस्था विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर होना चाहिए।

1.2 लक्ष्य

1.2.1 राजनैतिक तथा सार्वजनिक भागीदारी:

(क) महिलाओं द्वारा राजनैतिक तथा सार्वजनिक भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित नियमावली का पालन होना चाहिए ताकि महिलाओं को भी समान अधिकार एवं अवसर मिलें।

(ख) नीति-निर्धारण में भी केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर महिलाओं की समान भूमिका हो।

(ग) सभी सार्वजनिक निकायों में पुरुष एवं महिलाओं का समान
प्रतिनिधित्व हो।

1.2.2 महिला एवं हिंसा

(क) महिलाओं पर अत्याचार रोकने हेतु वर्तमान में बने सभी कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए।

(ख) महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधा होनी चाहिए।

1.2.3 महिला एवं नग्नता

महिलाओं के नग्न तस्वीरों को दिखाने तथा प्रचारित या प्रसारित करने पर रोक लगाने हेतु उचित कानून बनाने पर बल देना होगा।

1.2.4 महिला एवं स्वास्थ्य

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बंधित सुविधाओं के विकास हेतु एक शोध नीधि को आरक्षित करना होगा।

(ख) महिला स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा सम्बंधी नीतियों पर पुनर्विचार आवश्यक है।

(ग) महिलाओं द्वारा उनके स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार पर आवश्यक नियमावली बननी चाहिए।

(घ) महिलाओं के बीच बढ़ते धूम्रपान पर रोक लगाने सम्बंधी प्रबोधन कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।

(ङ) महिला चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि लाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में आरक्षण मिलना चाहिए।

1.2.5 महिला एवं कामकाज

(क) हमें महिलाओं को भी पुरुषों की तरह काम करने का समान
अधिकार दिलवाना चाहिए।

(ख) कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-रेख के लिए उचित व्यवस्था करवाई जानी चाहिए।

(ग) कामकाजी महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का निर्धारित समय मिलना चाहिए।

(घ) महिलाओं के बीच शिक्षण-प्रशिक्षण तथा नियोजन की सुविधा होनी चाहिए।

(ङ) महिलाओं को कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए।

1.2.6 महिला एवं शिक्षा

(क) बालिकाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण होना चाहिए।

(ख) विद्यालयों में बालिकाओं पर अत्याचार को रोकने हेतु कड़े कानून बनने चाहिए।

(ग) शिक्षकों की बहाली में महिलाओं को उचित आरक्षण मिलना चाहिए।

(घ) वैज्ञानिक तथा प्रावैधिकी पाठ्यक्रमों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।

(ङ) ज्यादा से ज्यादा बालिकाएँ विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हो, इसका प्रयास करना चाहिए।

1.2.7 महिला एवं कानून

(क) न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।

(ख) महिला अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

(ग) महिला कानूनी सहायता केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को परामर्श देने में आगे आए।

(घ) महिला संरक्षण सम्बंधी सभी कानूनों की समीक्षा हो।

(ङ) महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

(च) समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने हेतु अन्य सभी प्रयोग किए जायें।

1.2.8 महिला एवं पर्यावरण

हमें निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करना होगा:

(क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करते समय स्वास्थ्य, महिला एवं समाज पर पड़ते प्रतिकूल असर की माप।

(ख) शहरी आयोजन में महिलाओं की आवश्यकताओं का आंकलन।

1.2.9 महिला एवं खेल

हमें निम्नलिखित कार्य भी करने होंगे:

(क) खेल संगठनों में महिलाओं की समान भागीदारी पर बल।

(ख) निधि वितरण तथा पुरस्कारों के चयन में महिलाओं की समान भागीदारी।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

1.3.1 राजनैतिक एवं सामुदायिक भागीदारी

हमें महिलाओं के लिए कौशल विकास तथा राजनैतिक प्रशिक्षण देकर उन्हें चुनाव में भाग लेकर राजनैतिक भागीदारी निभानी चाहिए।

1.3.2 महिला एवं हिंसा

हमें निम्नलिखित मुद्दों पर गौर करना होगा:

(क) महिलाओं पर यौन अत्याचार सम्बंधी कानून की समीक्षा।

(ख) स्कूली स्तर पर महिलाओं के प्रति अत्याचार को कम करने के उद्देश्य से अहिंसा शिक्षा पर जोर।

(ग) महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति हिंसक भावना रखने वाले को उचित सजा।

(घ) पुरुषों के लिए महिला हिंसा पर नियंत्रण सम्बंधी प्रबोधन।

(ङ) महिलाओं विशेषकर शरणार्थी तथा अन्य वर्गों की बालाओं तथा महिलाओं पर हो रहे घरेलू तथा अन्य अत्याचारों पर रोक हेतु आवश्यक कदम।

1.3.3 महिला एवं नग्नता

हमें निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए:

(क) वीडियो गेम तथा दूसरे शारीरिक/फैशन परेडों के लिए विशेष वर्गीकरण की आवश्यकता।

(ख) विज्ञापनों में महिलाओं की नग्नता की सीमा।

(ग) मीडिया संगठनों के माध्यम से महिलाओं एवं शिशुओं के नग्न/
अर्धनग्न तस्वीरों पर रोक।

1.3.4 महिला एवं स्वास्थ्य

निम्नलिखित बातें भी अति महत्वपूर्ण हैं:

(क) गर्भ निरोध सम्बंधी उपायों पर ज्यादा प्रचार-प्रसार।

(ख) गर्भवती महिलाओं के प्रसव काल के अधिकार।

(ग) गर्भपात सम्बंधी कानूनों की विवेचना।

(घ) गर्भपात के पूर्व एवं पश्चात स्वास्थ्य सम्बंधी प्रबोधन।

1.3.5 महिला एवं कार्यबल

हमें निम्नलिखित कार्यक्रम भी प्रारम्भ करने होंगे:

(क) तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(ख) गर्भाधान के दौरान महिलाओं को प्रसूति-छुट्टी की उचित व्यवस्था।

(ग) महिलाओं को समान रोजगार देने हेतु जन-जागरण।

(घ) महिलाओं को सेवा-निवृति के पश्चात उचित पुनर्नियोजन।

(ङ) कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा सेवा की उचित व्यवस्था।

1.3.6 महिला एवं शिक्षा

हमें निम्नलिखित कार्य भी करने चाहिए:

(क) महिलाओं के शिक्षण तथा नियोजन हेतु राष्ट्रीय नीति बनाने के क्रम में जन-शक्ति विकास पर बल।

(ख) विद्यालय में पढ़ रहे बालक एवं बालिकाओं के रूचि को देखते हुए पाठ्य-सामग्री तथा पाठ्यक्रम का निर्माण।

(ग) केन्द्र एवं राज्य सरकारों में शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक कदम।

(ङ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में तकनीकी विकास को
ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए उचित आरक्षण।

(च) महिलाओं के बीच कम्प्यूटर विज्ञान तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग के प्रशिक्षण पर बल।

1.3.7 महिला एवं कानून

हमें निम्नलिखित कार्य भी करने चाहिए:

(क) लोक सेवा विभागों में प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी।

(ख) विधि संकायों में महिलाओं की भागीदारी।

(ग) महिला एवं शिशुओं पर अत्याचार सम्बंधी नये कानूनों का निगमन।

1.3.8 महिला एवं पर्यावरण

हमें निम्नलिखित कार्य भी करने चाहिए:

(क) पर्यावरण नीति-निर्धारण संगठनों में महिलाओं की भागीदारी।

(ख) पर्यावरणीय नीतियों के आयोजन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के क्रम में महिलाओं की उचित भागीदारी।

1.3.9 महिला एवं खेल

हमें निम्नलिखित कार्य भी करने चाहिए:

(क) महिलाओं के बीच जन-जागरण ताकि वे खेलकूद सम्बंधी अधिकारों को जाने और समझें।

(ख) महिलाओं के लिए खेलकूद में भाग लेने हेतु सामाजिक चेतना तथा मनोवृत्ति परिवर्तन हेतु प्रबोधन।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति

1.1 सिद्धान्त हमारा विश्वास है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित आवश्यक है:-

(क) जीवन के पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू।

(ख) जीवमण्डल और भू-पारिस्थितिकी की सुरक्षा और संरक्षण।

(ग) शान्ति, नाभकीय निःशस्त्रीकरण, युद्ध से मुक्ति, समुदाय और घर में हिंसा मुक्त वातावरण।

(घ) सामाजिक न्याय और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी।

(ङ) उपलब्ध करने योग्य की ऐसी समुचित स्वास्थ्य सेवा जो निदान के साथ-साथ हिफाजत पर बल देती है।

(च) व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों से प्राप्त सामुदायिक साधन और सामुदायिक नियंत्रण पर आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर बल देना।

(छ) स्वास्थ्य संवर्द्धन, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा पर व्यापक बल देना।

(ज) पारम्परिक और वैकल्पिक, पूरक उपचार पद्धति के क्षेत्र में अनुसंधान।

(झ) स्वास्थ्य के लाभप्रद परिणामों के आधार पर नीति निर्धारण का अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर परिवहन, आवास, पर्यावरणीय सुरक्षा, रोजगार, स्थानीय सामाजिक सेवाएँ तथा शिक्षा जैसे विषयों पर लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करना।

(ञ) चिकित्सा और चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवाओं और दंत तथा शुश्रुसा सेवाओं को शामिल करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य निधि उपलब्ध कराना।

(ट) उपचार की ऐसी पद्धतियां जो पारम्परिक परिधि में विकसित हुई हैं तथा जो पर्यावरण और सामाजिक मूल्य/लाभ के अनुरूप हैं।

1.2 उद्देश्य

इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण अनुरूप ऐसी स्वास्थ्य नीति का विकास एवं कार्यान्वयन करना जो स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का समर्थन करती हो तथा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

(ख) लोक स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करने और स्वास्थ्य स्तर के अनुकूल रखररवाव से संबंधित प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण को विकसित करना जो निवारक उपाय है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को नया रूप

देकर अस्पताल में आने की प्रवृत्ति को कम करना।
(ग) चिकित्सा अनुसंधान के लिए जानवरों का उपयोग समाप्त करना।
(घ) अस्पताल में चिकित्सा द्वारा किये गये निदान और मृत्यु के लिए संसदीय जांच को प्रेरित करना।
(ङ) स्वास्थ्य को लेकर अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विधेयक व्यापक सामुदायिक परामर्श से तैयार करना।
(च) इस बात को सुनिश्चित करना कि भारत पर्यावरण सम्बन्धी मामलों, जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है।
(छ) पालतू पशुओं पर हारमोनों और उन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना, और केवल वही उपचारिक दवा अपनाना जो पशुचिकित्सक ने व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित की है।
(ज) रसायन मिश्रित दवाइयां और विकिर्णित खाद्य पदार्थ पर अंकुश लगाना।
(झ) पेयजल के फ्लोराइड के प्रभाव पर विचार करना।
(ञ)) सामुदायिक स्वास्थ्य विषयक केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार करना जो संसाधन आवंटन पर समुदाय आधरित नियंत्रण के साथ उपचार के विकल्पों को उपलब्ध करायेगा।
(ट) प्रसव केन्द्रों की उपलब्धता को बढ़ाना, जहां दाई प्राथमिक उपचार का प्रबंध कर सकेगी।
(ह) सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते महिला स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धता बढ़ाना।
(ड) विशेष रूप से युवा पीढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करना जिसका उद्देश्य आत्महत्या की दर को कम करना हो।
(ढ) चिकित्सा देखभाल के अन्तर्गत दवा योग्य सेवा के रूप में में दन्त देखभाल सेवा को पुनः शुरू करना।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

हमें निम्नलिखित लक्ष्यों को समर्थन देना चाहिए:
(क) मेडीकेयर (स्वास्थ्य-देखभाल) का रखरखाव।
(ख) मेडीकेयर के उपकरों में इस आधार पर वृद्धि करना कि ऐसी निधि (जो इस तरह की वृद्धि से बनेगी) प्राथमिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखरेख (अनुकूल स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए) पर विशेष रूप से खर्च की जायेगी बजाय इसके कि प्रतिघाती रोगों के प्रबंध पर ही उसे खर्च किया जाये।
(ग) यह प्रस्ताव करना कि फार्माश्युटिकल दवाएं इनके मूल नाम के साथ-साथ व्यापारिक नाम पर बेची जाये। और यह कि उनका मूल नाम विशिष्ट दवाई के लिए सभी विज्ञापनों में प्रदर्शित हो।
(घ) ऐसे कानून को अमल में लाया जाये जिसके द्वारा मेडीकेयर छूट व्यापक चिकित्सालय सेवाओं के लिए उपलब्ध होती हैं।
(ङ) दवाइयों के व्यापक स्तर पर अधिकाधिक प्रयोग से निपटने के लिए

सामाजिक नीतियों का विकास और उनका कार्यान्वयन करना।

नई शिक्षा एवं प्रबोधन नीति

1.1 सिद्धान्त

हमें निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए:

(क) शिक्षा एक विविध औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाकलापों में भागीदारी बौद्धिक, भौतिक, भावनात्मक, आचरणगत और सांस्कृतिक विकास की जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य लोगों को किसी उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए सशक्त बनाना, उनके जीवन को संतोषमय बनाना, उनके समुदायों को विकास के लिए सहायता करना जो शन्तिप्रिय, न्यायी, पारिस्थितिकीय रूप से सक्षम व और नीतिगत प्रतिबद्धता को विश्व के अन्य लोगों को देंगे। जीवन पर्यन्त शिक्षा सभी नागरिकों को इस योग्य बनाती है कि वे आजीवन रचनात्मक और व्यावहारिक सामाजिक योगदान कर सके।

(ख) जीवन पर्यन्त शिक्षा के ऐसे दृष्टिकोण को समर्थन देना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा जा सके कि वह अध्यापक बनकर अपने कौशल, ज्ञान और जानकारियों को अन्यों के साथ बांटे।

(ग) सभी लोगों को अपनी जरूरत, योग्यता और आशाओं के अनुसार शैक्षिक अनुभवों तक पहुँच का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्याप्त और वित्तीय सहायता देना।

(घ) सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना।

(ङ) वे सभी लोग जो घर पर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं घर पर ही अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें।

(च) नौकरी देने वाले बड़े कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की शक्ति के विकास पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना जिससे सभी लोग सामाजिक रूप से उपयोगी और संतोषजनक कार्य कर सकें

(छ) अच्छे सार्वजनिक स्कूलों को बनाये रखना और सुदृढ़ करना।

(ज) अभिभावकों और नागरिक संगठनों, सामाजिक समूहों तथा शैक्षिक और विद्‌यार्थी संघों को निर्देशों, प्राथमिकताओं, पाठ्‌यक्रमों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर देना और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को चलाने के लिए अभिकरण की व्यवस्था करना। इससे शिक्षा प्रणाली के विकास में सहायता मिलेगी जो बहुसांस्कृतिक क्षमता के लिए उपयुक्त है तथा जो सामाजिक भावना को और महत्वपूर्ण बनाती है और प्रतिस्पर्धा और लाभ के उद्देश्यों के बजाय जो इस समय हमारे समाज में व्याप्त है व्यक्तिगत संबंधों को और बेहतर करती है।

(झ) व्यावसायिक संगठनों, निजी प्रदायकों, सामुदायिक समूहों और व्यापार द्‌वारा शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराने की भूमिका अदा करने को सुनिश्चित करना, और

(ञ) इस बात को मान्यता प्रदान करना कि प्रौद्‌योगिकी समाज में किसी व्यक्ति को

सक्षम बनाने में इसकी योग्यता इस बात पर निर्भर है कि वह कहाँ तक संचार प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणालियों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता है। हम सभी भारतीयों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जागरूकता के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षा नीतियों का समन्वयन करेंगे।

1.2 लक्ष्य

1.2.1 सामान्य

हमें निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए कार्य करना चाहिए:

(क) बेहतर शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना जिसमें सभी की पहुंच की गारन्टी हो।

(ख) एक राष्ट्रीय कार्य दल के आयोजन द्वारा क्षमता का विकास करना जो लाभकारी अनुसंधान पर आधारित हो, और राष्ट्रीय उद्योग और रोजगारों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना जो सामाजिक न्याय के मूल सिद्धान्तों, प्रतिपालनीयता और राष्ट्रीय आत्म निर्भरता को बढ़ाने के भावना को लेकर तैयार किये गये हों।

(ग) जीवन पर्यन्त शिक्षा और प्रशिक्षण विकल्पों का विकास करना जो लोगों को जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे वे उन्हें व्यवसाय बदलने के योग्य बनायेंगे।

(घ) तरशियरी सहित शिक्षा के सभी स्तरों के अध्यापकों के लिए सेवा के दौरान निरंतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना और अतिरिक्त लाभ देना।

(ङ) संगठनात्मक भावना का विकास करना ताकि केन्द्रीकृत शैक्षणिक लाल फीताशाही की भूमिका, प्राधिकार और स्तर में कमी आये और हमारे स्कूलों के शैक्षणिक उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने में लोकतांत्रिक स्तर पर उत्तरदायी सामाजिक भागीदारी का विकास करना, और

(च) शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर और अधिक बल देना,

(1) मानवीय संबंधों और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना।

(2) भौतिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तथा कल्याण और सम्मान की भावना का विकास।

(3) नीतिगत प्रतिबद्धता का विकास और अन्य लोगों तथा धरती के हित के प्रति दृष्टिकोण का विकास।

(4) सामाजिक लक्ष्य के रूप में प्रतिस्पर्धा और लाभ की बजाय सहयोग और बहुजन हिताय का महत्व।

(5) भावी पीढ़ियों के कल्याण के बारे में उत्तरदायित्व का बोध।

(6) अपनत्व और उदारता।

तृतीयक (टरशियरी) शिक्षण

हमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ध्यान देना पड़ेगा:

(क) मुक्त माध्यमिक शिक्षा की नीति का कार्यान्वयन।

(ख) विकेन्द्रीकृत परिसरों के विकास, दूरवर्ती तरीकों और कार्यक्रमों के जरिये टरशियरी शिक्षा का विस्तार करना।

(ग) सभी टरशियरी शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण अंकेक्षण और पर्यावरण शिक्षण योजना का संचालन करना, और

(घ) सभी टरशियरी शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों में पर्यावरण को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

1.2.3 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण हम सभी निम्नलिखित के लिए कार्य करेंगे:

(क) प्रमुख शैक्षिक क्षेत्रों में अद्यतन राष्ट्रीय वक्तव्यों की समीक्षा के द्वारा निम्नलिखित को सुव्यस्थित करना:-

(1) मानव के बहुआयामी विकास अर्थात् बौद्धिक, भावनात्मक, नीतिगत और सांस्कृतिक विकास में यथोचित संतुलन कायम करना।

(2) वैयक्तिक विकास, व्यावसायिक कौशल और शिक्षण, तकनीकी और प्रौद्योगिक सक्षमता, बौद्धिक सूझबूझ और लोकतांत्रिक नागरिकता के बीच संतुलन पर जोर देना।

(3) विद्यालयों के पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिदृश्यों और प्रक्रियाओं को समेकित करना।

(4) विश्वस्तरीय पारस्परिक निर्भरता पर जोर देना।

(5) सम्पूर्ण पाठ्यक्रमों में सभी लोगो में अधिक शान्तिप्रिय, न्यायसम्मत, जनतांत्रिक और पर्यावर्णिक प्रतिपालनीय विश्व के विकास की प्रतिबद्धता की भावना को उजागर करना, और

(6) विद्यालयों और घर आधारित शिक्षण तथा समुदाय आधारित शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना।

(ख) सभी बच्चों को शिक्षण के अधिकार की गारन्टी देना जो मुक्त विचारों का संवर्द्धन करती है,

(ग) अभिभावकों को अपने बच्चों को घर पर या किसी अन्य स्थान पर शिक्षित करने के लिए नाम लिखाने की अनिवार्यता का बंधन नहीं होगा। इसका चुनाव करने के अधिकार की गारन्टी हो, बशर्ते वे अपने बच्चों के लिए संतुलित शिक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते प्रतिबद्धता को व्यक्त कर सकें और

(घ) स्थानीय समुदाय आधारित और जनतांत्रिक रूप से नियंत्रित सार्वजनिक स्कूलों के विकास को प्रोत्साहित करना, बशर्ते कि ऐसे स्कूल राष्ट्रीय शिक्षण नीति के सिद्धान्तों को अपनाते हों।

1.2.4 विश्व के अन्य लोगों के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से प्राप्त निधि का विस्तार करना। ऐसी विस्तार परियोजनाओं के लिए काम करना जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूझबूझ को बढ़ावा देना, और देश और विदेश और समुदायों के भीतर सामाजिक न्याय और स्थिरता का संवर्द्धन करना है। यह समुदायों और देशों के लोगों के लिए और उनके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं को बिना शर्त वित्तीय सहायता के द्वारा होगा।

(ख) इस बात को सुनिश्चित कि विकास के साधनों जैसे प्रशिक्षण योजनाएँ, विनिमय, बाहरी विद्यार्थियों का दाखिला, विकास परियोजनाएँ और परामर्शदाता अभिकरणों के जरिये अन्य समाज के साथ शैक्षणिक संबंधों को न्याय, साम्यता और सांस्कृतिक

भावनाओं की विशेषताओं के माध्यम पर बांटा गया है।
(ग) भविष्य के दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए शैक्षणिक सामग्री और पद्धतियों का वितरण करना, और
(घ) विकास शिक्षण केन्द्रों की गतिविधियों के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

1.3.1 सामान्य

हम निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान देंगे:
(क) औपचारिक शिक्षण के सभी स्तरों पर ज्यादा संसाधनों का आंबटन करना। परन्तु ऐसा करते समय प्राथमिक क्षेत्र के नवीनीकरण को सहायता देने पर विशेष ध्यान देना,
(ख) मुक्त शिक्षण के अवसरों को बढ़ाना ताकि हर क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की पहुंच औपचारिक और अनौपचारिक अध्ययन के बेहतर शैक्षणिक कार्यक्रमों तक हो सके।
(ग) कार्यकाल के नियम सहित अध्यापको के लिए रोजगार की समुचित केन्द्रीकृत शर्तों को बनाये रखना।
(घ) सामुदायिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, निजी सेवा उपलब्ध करने वालों और अन्य जो समुचित समुदाय शिक्षण कार्यक्रमों और सुविधाओं को दे रहे हैं को वित्तीय सहायता देना। इनमें वे भी शामिल हैं जो समाज के उन हितों और लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हों जिन्हें औपचारिक और अनौपचरिक शिक्षा प्राप्त नहीं हैं।
(ङ) जो विद्यार्थी शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर अक्षम हों या जो निवास स्थान और या दूरी के कारण शिक्षा का लाभ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।

1.3.2 टरशियरी शिक्षा

हमें :
(क) टरशियरी शिक्षा संस्थानों के अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनतांत्रिक भागीदारी की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना होगा।
(ख) निःशुल्क सुविधाओं और सेवाओं को देने के लिए विद्यार्थियों से फीस लेने की अनुमति देगी बशर्ते कि वह धन विद्यार्थी समूह के जनतांत्रिक नियंत्रण में हो।

1.3.3 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित रूपरेखा की समीक्षा का समर्थन करेगी। वह समर्थन यह निश्चित करने के लिए करेगी कि वह स्वस्थ शैक्षिक सिद्धान्त के समर्थन से राष्ट्रीय वक्तव्यों की भावना प्रकट करने में समर्थ हो, न कि उसका उपयोग अनुचित तकनीकी और व्यावस्थायिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए किया जा रहा हो।

1.3.4 विशेष ध्यान देने योग्य लोग

हमें विचार करना होगा कि निम्नलिखित लोगों के समूह को विशेष लाभ प्राप्त होना चाहिए:
(1) जो सुदूर इलाकों में रहते हों।
(2) जो सामान्य रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम न हों।
हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) इन विशेष समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में समुदाय में जागरूकता लायेगी,

(ख) समुचित पाठ्यक्रम में समान रूप से जिम्मेदारी, भागीदारी और पहुंच को सुनिश्चित करेगी।

(ग) सहायक शैक्षिक पर्यावरण को बनाना तथा उसे बरकरार रखना।

(घ) संसाधनों का बराबरी से बंटवारे की जिम्मेदारी।

(ङ) विशेषज्ञता समर्थित सेवा प्रदान करना।

(च) शैक्षिक संस्थानो के अन्तर्गत ऐसे विशेषज्ञों को अध्यापन और अन्य पदों को लेने के लिए क्रियात्मक रूप से प्रोत्साहित करना।

1.3.5 प्रतिपालनीयता के लिए शिक्षण

हमें धरती माता संरक्षण हेतु निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षण के सम्पूर्ण पहलुओं पर जोर देने वाली पद्धति अपनाने के लिए ऐसी राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति का विकास करेगी, जो स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग पर जोर डालेगी,

(ख) भारतीय उद्योगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि उनके व्यावसायिक प्रयोग पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छे हैं, और वह व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य शिक्षण विश्व के सर्वोत्तम मानदण्ड के हैं और पर्यावरण मानदण्ड सर्व सुलभ है (जो विश्व में चल रहे सर्वोत्तम प्रशिक्षण से भी समुन्नत होगा), और

(ग) स्कूलों को समर्थन प्रदान करेगी जो पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का कम से कम करने के लिए संगठनात्मक प्रयोग विकसित करेंगे (उदाहरणार्थ ऊर्जा उपयोग) और सुनिश्चित करेगी कि मूल ढांचा का रखरखाव और पुनर्परिष्करण पर्यावरणीय दृष्टि से ठीक है।

आवास एवं पर्यावास नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार उन रूचियों का सर्मथन करेगी जो सुनिश्चित करेंगे कि:

(क) नवीन शहरी विकास, पर्यावरणीय दृष्टि से ठीक, मानवीय सम्मान और सामुदायिक मेल मिलाप के संवर्द्धन में मदद देंगे, और

(ख) शहरी नियोजन और विकास प्रस्तावों के आकलन में लोगों की पूरी भागीदारी हो।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र एवं राज्य सरकार:

(क) सुनिश्चित करेगी कि जो लोग अपना आवास बनाने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार ऐसा करने के लिए सहायता दे।

(ख) सार्वजनिक आवास के वृद्धि के जरिये आवास की कमी को समाप्त करना।

(ग) आवासीय सेवा प्रदान करने के बारे में किरायदारों की भागीदारी बढ़ाना।

(घ) मकान नियमों की समीक्षा होगी, जिससे मकानों का निर्माण उचित ऊर्जा के कुशल उपयोग के आधार पर होगा ताकि उनके निर्माण में पर्यावरण पर कम विपरीत प्रभाव डालने वाले सामग्री का उपयोग हो।

(ङ) आवास उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री पर नियंत्राण रखा जायेगा जिससे पर्यावरण का अधिक दोहन न हो

और उसे खतरनाक प्रभाव से बचाया जा सके।

(च) स्थानीय लोगों की सलाह से शहरी ग्रामों के ऐसे विकास को प्रोत्साहित करना जिससे लोगों को शहरों के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय और सामाजिक संतोष के साथ रहने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो।

(छ) शहर नियोजन में समुचित सामुदायिक सेवायें (मनोरंजन, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम) प्रदान करने को प्राथमिकता।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

1.3.1 सामान्य नियोजन

हमें प्रस्ताव करना चाहिए कि:

(क) भावी शहरी विकास ऐसे पर्यावरणीय और सामाजिक नियोजन सिद्धान्त पर आधारित हो जिससे

(1) सुनिश्चित हो कि सभी आवास खण्डों में धूप मिले।

(2) वर्षा जल संग्रहण और जल के पुनरोपयोग के लिए जमीन का सही स्वरूप हो।

(3) गोपनीयता और ध्वनि नियंत्रण की सुविधा हो। सार्वजनिक खुली जगह का प्रावधान।

(4) पूरे शहरी क्षेत्र में समेकित साइकिल पथों के नेटवर्क का रेखांकन, और

(5) आवासीय क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा को कम करना।

(ख) शहरों के केन्द्रों के निर्माण की योजना में वाणिज्यिक क्रियाकलापों के साथ अधिक से अधिक आवासीय गतिविधियाँ का सम्मिश्रण हो। अधिक सार्वजनिक खुली जगह और आकर्षण शहरी रूपरेखा द्वारा शहरी केन्द्रों को अधिक से अधिक मानवीय बनाया जाये।

(ग) विविध सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के आवास उपलब्ध हों, जिनमें निम्न शामिल हैं:

(1) युवा

(2) परिवार विहीन समूह

(3) शारीरिक रूप से अक्षम

(4) वृद्ध

(घ) निम्न के द्वारा व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को कम करने पर बल देना:

(1) सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार

(2) पड़ोस में स्थित दुकानों के इर्दगिर्द आवासीय, शैक्षिक और व्यापारिक सुविधाओं का विकास।

(3) आने जाने के लिए साइकिल चलाने की शुरूआत और विस्तार।

(4) सुविधाजनक कार पार्किंग सुविधाओं की समुचित शुरूआत और विस्तार।

1.3.2 शहरी विकास

सार्वजनिक परिवहन पद्धति का विकास जो ऊर्जा कुशल, किफ़ायती और सुविधाजनक होगी। उदाहरणार्थ एक्सप्रेस सेवाओं के साथ जुड़ी रेल सुविधा और शहर के अन्य भागों के लिए समुचित बस सेवाएं।

हमें प्रस्ताव करना चाहिए कि:

(क) शहरी विकास की योजना पर्यावरणीय और सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित शहरी ग्रामों के सिद्धान्त पर जोर देगी।

(ख) अन्य प्रकार के आवास सार्वजनिक आवास से भलीभांति जुड़े होंगे।

(ग) सामुदायिक आवास कार्यक्रम को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जारी रहेगी।
(घ) सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवास बनाने वाले मालिक को श्रेणी के साथ प्रमाणपत्र जारी किये जायें जिससे यदि लोग चाहें तो बिना साज सज्जा वाले मकान में रह सकें।

1.3.3 आवास रूपांकन
हमें प्रस्ताव करना चाहिए कि:
(क) नई इमारतों में ऊर्जा पर्याप्तता, ध्वनि नियंत्रण और जल संरक्षण आदि सुविधायें आवश्यक रूप से हों।
(ख) स्थानीय स्तर पर खराब जल शोधन, मलमूत्र से खाद और वर्षा जल के ग्रहण को बढ़ावा देना।
(ग) इमारतों के लिए उचित कार पार्किंग की व्यवस्था, और
(घ) नए आवासों में सौर्य ऊर्जा उपलब्ध हो।

परिवहन नीति

1.1 सिद्धान्त
केन्द्र एवं राज्य सरकारों की परिवहन नीति निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए:
(क) गतव्य दूरी तक पहुँचने में लोग समर्थ हों, सामानों और यात्री सेवाएं सुरक्षित, समयबद्ध और ऊर्जा कुशल तरीके की हों जिसका पर्यावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े।
(ख) मान्यता देना कि परिवहन नीति के परिवर्तन में शहरीकरण का स्वरूप और रूपांकन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
(ग) शहरी योजना और परिवहन के जोड़ने में पर्यावरण और सामयिक मूल्य शामिल करना जिससे कि परिवहन के साधन ऊर्जा दक्ष हों (पैदल चलना, साइकिल चलाना, रेल, तटवर्ती नौ परिवहन) तथा गैर परिवहन सुविधाओं को कार, ट्रक आदि को समान वित्तीय सहायता प्राप्त हो।
(घ) स्थानीय समुदायों को इस काबिल बनाना कि वे अपनी मनपसंद की परिवहन व्यवस्था को चुन सकें।
(ङ) माँग को पूरा करने के लिए वर्तमान सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना न कि भविष्य की माँग के अनुरूप सुविधाओं का लगातार निर्माण करते रहना।
(च) यात्री-परिवहन के रूप में पैदल चलना, साइकिल चलाना तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल देना।

1.2 लक्ष्य
केन्द्र एवं राज्य सरकारों का निम्नस्थ लक्ष्य होने चाहिए: -
(क) परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन के प्रति व्यक्ति खपत में पर्याप्त कमी लाना ताकि भविष्य में भी यह व्यवस्था कायम रहे।
(ख) सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से बस सेवाओं की आवृत्ति, गति और सुविधा द्वारा बेहतर सेवाएँ प्रदान कर उसकी साख में सुधार करना ताकि शहरी लोगों द्वारा कार रखने और उसके उपयोग को कम किया जा सके।
(ग) यह मान्यता प्रतिपादित करना कि उचित स्तर की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

प्राप्त करना समुदाय का अधिकार है और ये सुविधाएं सार्वजनिक नियंत्राण में हों और उनका मकसद पूरी कीमत वसूलना नहीं हो।

(घ) व्यक्तिगत परिवहन का प्रयोगकत्र्ता जागरूक हो, और अन्ततः अपने पसन्द के परिवहन का पूरा दाम देकर उपयोग करे।

(ङ) परिवहन और शहरी योजना के समन्वयन में नागरिकों की भागीदारी के अवसर बढ़ाना।

(च) शहरीकरण में शहरी गाँवों के विकास पर बल देना, तथा जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा हो, वहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।

(छ) शहरी क्षेत्रों के आसपास परिवहन सुविधा सरंचना का सीधा दुष्प्रभाव कम करना (उदाहरणार्थ, ध्वनि, वायु प्रदूषण) और नवीन परिवहन संरचना द्वारा प्रभावित लोगों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करना,

(ज) सड़क सुरक्षा में सुधार, विशेष रूप से पैदल राहगीरों और साइकिल सवारों के लिए और हवाई मार्गों और समुद्री मार्गों में सुधार।

(झ) ग्रामीण भारत के निवासियों के लिए बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करना।

(ज) अपाहिज, युवा और वृद्ध लोगों सहित उन लोगों की सेवाओं में सुधार करना जिनकी अपनी विशेष आवश्यकता हो।

(झ) सड़कों और गलियों में साइकिल चलाने और पैदल चलने की सुविधा को समर्थन देना। उदाहरणार्थ आवासीय सड़कों पर सीमित कम गतियों को बढ़ावा देना।

1.3 लघु अवधि लक्ष्य

1.3.1 सम्पूर्ण

हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) वातावरणीय हवा की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक को अपनाने को सुनिश्चित करना जो विश्व की सर्वोत्तम मानक की अपेक्षाकृत बेहतर हो।

(ख) समान रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए राष्ट्रीय ध्वनि और उत्सर्जन मानक को सुनिश्चित करना जो विश्व के मानकों से भी बेहतर हों। उनमें मानकों के परीक्षण की आवश्यकता भी शामिल हो और

(ग) शहरी योजना में अन्तर्निहित स्तर के लिए लक्ष्य विकसित करना जिसमें रोजगार, थोक व खुदरा व्यापार तथा अन्य स्थानीय सेवायें आवासीय कार्यक्रम में सन्निहित हों।

1.3.2 भूतल परिवहन

निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान देना होगा:

(क) वर्ष 2025 तक प्रत्येक बड़े शहर में सार्वजनिक परिवहन की बाजार हिस्सेदारी (किलोमीटर यात्रा) होगी, तथा उसे व्यक्तिगत कारों से दुगनी करनी।

(ख) सन् 2020 तक कार बेड़ा में शामिल होने वाले नये कारों में ईंधन की दक्षता 5 लीटर में 100 किलोमीटर हो जाये तथा उसे घटाकर 4 लीटर में 100 किलामीटर कर दिया जाये। इस ईंधन दक्षता के औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित करना है।

(ग) नये कारों में ईंधन दक्षता अधिदेश का पालन सुनिश्चित करना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सभी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए कोष अथवा उनकी स्वीकृति पर्यावरणीय और सामाजिक मानदण्ड के अनुकूल हों। इन मानदण्डों में

ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन सहित शुद्ध हवा के प्रतिमान तथा पर्यावरण सुरक्षा का स्तर और सार्वजनिक भागीदारी शामिल होगी।
(ङ) सुनिश्चित रहे कि पर्यावरण के बाह्य मूल्यों और स्थानीय समुदाय पर विनाशकारी प्रभाव, व्यावहारिक सार्वजनिक परिवहन विकल्पों, सड़कों की आवश्यकता को किसी नये सड़कों के निर्माण योजना में पूरा महत्व दिया जाये।

1.3.3 बन्दरगाह और नौ परिवहन
हम निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए कार्य करेंगे:
(क) बंदरगाहों की वर्तमान संख्या में वृद्धि न करना।
(ख) भारतीय जल में चलते समय तेल टैंकरों का अन्ततः पूर्ण दायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए नियम बदलना। उन नियमों में संयुक्त राज्य तेल प्रदूषण नियम 1990 में शामिल विश्व के सर्वोत्तम व्यवहार को शामिल करना, और
(ग) पूरक मल निकासी और उन सभी दूसरे कार्यों पर पूर्ण नियंत्राण रखना जो भारतीय समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों।

1.3.4 वायु परिवहन
यह मानते हुए कि वायु परिवहन पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाता है तथा इसमें भूतल परिवहन की तुलना में ईंधन दक्षता भी कम होती है खासकर रेल और समुद्र परिवहन की तुलना में। वायु परिवहन में पर्यावरण मूल्य को खुले रूप में स्वीकार किया जाये तथा वायु परिवहन की कीमत तय करते समय उसे ध्यान में रखा जाये।

हवाई यात्रा पर निर्भरता कम करने की अनेक संभावनायें हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें से एक टेलिकांफ्रेंसिंग सेवा का विस्तार शामिल है। इसके लिए हम उन उपायों पर विचार करेंगे जैसे कर में छूट देना जिससे कि लोग हवाई यात्रा कम करेंगे।

अनेक मामलों में योजना की गलतियों की वजह से हवाई अड्डों के समीप आवास में जरूरत से ज्यादा ध्वनि रहती है। हम इन गलतियों के निवारण का समर्थन करते हैं - उदाहरणार्थ उड़ान नियम में सुधार और हवाई अड्डे की गतिविधियां नियंत्रित करना तथा अधिक प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को क्षतिपूर्ति देना।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन नीति

1.1 सिद्वान्त
सूचना प्रौद्योगिकी नीति इस आधार पर चलती है कि हमें उस जीवनशैली और विकास मार्ग को अपनाना चाहिए जो पारिस्थितिकी सीमाओं का सम्मान करती हो तथा उसके अन्दर काम करती हो। सामुदायिक जांच के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के ऐसे विकास की जरूरत है जिससे इसका लाभ सभी लोगों को मिले न कि कुछ लोगों की शक्ति और लाभ बढ़ाने में उसका प्रयोग हो।

सरकार तथा उद्योग जगत की परिधि से

हटकर प्रौद्योगिकी पसन्द के बारे में सार्वजनिक विचार-विमर्श करना चाहती है। व्यापक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के सुनिश्चित जोड़ के लिए उचित सार्वजनिक सूचना प्रौद्योगिकी योजना होनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता बनने और पैसा कमाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद को ग्रहण करने से बचना चाहिए। द्रुत सूचना ऑन लाइन सेवाओं के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रस्ताव बहुत खर्चीला और व्यापक होगा। इसके आवश्यक विश्लेषण करने का व्यय सरकार को वहन करना चाहिए। विद्यालयों के पुस्तकालयों में, सार्वजनिक उपक्रमों में इलेक्ट्रानिक सूचना संसाधनों, इंटरनेट और ई-मेल को न के बराबर या कम से कम मूल्य पर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त राशि देने का हम समर्थन करेंगे जहां समाज में पूरी भागीदारी के लिए ऐसी सेवाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण हो।

हमें कर में छूट देने के बजाय सीधे उपाय का समर्थन करना चाहिए। कर में छूट कम न्याय-संगत होगा। सहस्राब्दी बग से बचने के लिए उनकी पद्धति बदलने में सहायता की जानी चाहिए।

1.2 लक्ष्य

अपेक्षाकृत पढ़ी-लिखी और कुशल आबादी वाले भारत में साफ्ट्वेयर, मल्टी मीडिया और बौद्धिक सम्पदा विकास की अधिक संभावना है। हमें सूचना और संचार सेवाओं को अत्यधिक क्षेत्र तक सार्वजनिक रूप से पहुंचाने का समर्थन करना चाहिए।

1.3 कम अवधि के लक्ष्य

हमें निम्नलिखित लक्ष्यों को प्रस्तावित करना होगा:

(क) लगातार नई और वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन और सरकारी क्रियाओं की संस्तुति के लिए स्वतंत्र सूचना प्रौद्योगिकी मूल्यांकन परिषद (आई.टी.ए.बी.) की स्थापना जरूरी है । स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक प्रभाव, जोखिम और नौकरी संतुष्टि की जांच के साथ साथ आर्थिक मूल्यांकन भी होगा। अपने कार्य के बारे में लोगों को सूचित करने का सांविधिक दायित्व आई.ए.टी.बी. का होगा।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी को लाभप्रद बनाने के प्रयास को बढ़ावा देना जैसे अनुसंधान और विकास।

(1) गोपनीयता-व्यक्तिगत सूचनाओं को गोपनीय रखने, और

(2) सूचना की स्वंतत्रता - सांख्यिकी और निर्णय प्रक्रिया तक लोगों के पहुँच के अधिकार को सरकारी विभागों और निजी व्यापार में लागू करना।

(ग) ऐसी आचार संहिता अपनाने पर बल देना जिसके उल्लंघन पर किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य की सदस्यता निलंबित की जा सकती है अथवा उसके लिए अपने व्यवसाय में कार्य करना मुश्किल हो जाता है।

(घ) सरकार को इसके लिए बाध्य करना कि वह अपनी व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी

का प्रयोग खुले तौर पर तथा जवाबदेही के साथ करे। विश्व व्यापी प्रचालन के लिए नेटवर्क मानदण्डों के विकास के समन्वयन के क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय संचार संयम, सूझबूझ और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर प्रचालन हेतु नेटवर्क मानदण्डों का विकास करना।

(ङ) व्यापक सार्वजनिक विचार-विमर्श के आधार पर उचित नियमों के साथ इंटरनेट का समतावादी जनतांत्रिक संचालन।

(च) ऐसे टेली कम्पूटिंग में वृद्धि को समर्थन देना जिससे - दफ्तरी कर्मचारी अपने घर पर काम कर सकें तथा उससे आने-जाने की आवश्यकता न पड़े।

(छ) हवाई यात्रा पर आश्रय को कम करने के लिए टेली कान्फ्रेंसिंग सेवा में विस्तार को समर्थन देना,

(ज) ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के पलायन को रोकने तथा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए दूरदराज के स्थलों पर 'कार्य-केन्द्र' तथा टेलि-गाँवों की स्थापना करना।

(झ) यात्रा की आवश्यकता को घटाने के क्रम में टेली कान्फ्रेंसिंग सेवा में विस्तार को समर्थन देना।

(ञ) सूचना प्रौद्यौगिकी या कम्प्यूटर, दूरसंचार सेवाओं में एकाधिकारिता की प्रवृत्ति को रोकना। संवेदनशील उपयोगों / पद्धतियों (सुरक्षा के मामले जैसे) की पहचान करना तथा उनकी फेहरिस्त तैयार करना तथा उनकी डिजाइन को वैध लाइसेंस रखने वाले योग्य पेशेवरों तक सीमित रखना।

(ट) सरकारी कम्प्युटर पद्धतियों के विकास या परिवर्तन की आवश्यकता को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना ताकि यदि कोई चाहे तो इस बारे में अपना एतराज दर्ज करा सके।

(ठ) विश्वविद्यालयों तथा दूसरे अनुसंधान संगठनों में होने वाले अनुसंधान में व्यापार अथवा सरकार की दखलअंदाजी को रोकना।

(ड़) अनुसंधान विकास तथा उनके निहितार्थों के बारे में अनुसंधानकताओं से व्यवसाय अथवा जनसंचार माध्यमों में सूचना को स्वतंत्रा तथा अवाध संचारण का समर्थन करवाना।

(ढ़) नीतिगत व्यवसाय प्रचालन के साथ उद्योग द्वारा हार्डवेयर, साफ्टवेयर और समरूप सेवा के विकास के लिए समर्थन देना।

(ण) सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले संगठनों में परिवर्तन, कार्य करने की परिस्थितियाँ, नौकरी की परिभाषा और कौशल सीमाओं तथा उद्योग संबंधों के बारे में नरम दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

(प) सिनेमा की तरह कम्प्यूटर खेल और अवकाश सेवाओं की दर और नियंत्रण पद्धति का विकास करना।

(फ) कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी और उपयोग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच में सुधार।

(ब) शिक्षा पद्धति में सूचना और प्रौद्योगिकी तक बच्चों की पहुँच तथा इसके उपयोग के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना।

(भ) सरकार प्रबंधित या आर्थिक सहायता प्राप्त ग्रामीण इंटरनेट सेवा देने वालों के जरिये स्थानीय कॉल मूल्य पर ग्रामीण लोगों

के लिए ई-मेल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करना।

(म) प्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवर लोगों के लिए व्यावसायिकता के क्षेत्रा में नए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि वे देश में नए-नए मतावलम्बी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकें जिससे देश में ऐसे प्रशिक्षित युवक-युवतियाँ का एक सक्षम संवर्ग तैयार हो सके जो तृतीय सहस्राब्दी के प्रबंध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों और स्वरूपों की विशेषज्ञपूर्ण जानकारी रखते हों।

कौशल विकास, कार्य एवं रोज़गार नीति

1.1 सिद्वान्त

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को रोज़गार तथा कार्य, जिसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया-कलाप के रूप में परिभाषित किया गया है और रोज़गार, जिसे संदत्त कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, में अन्तर करती है। हम पूर्ण रोजगार के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। उसका अर्थ है सभी को रोजगार, सबको सुरक्षा, सामाजिक रूप से उपयोगी, पर्यावरण रूप से सुसाध्य, पर्याप्त रूप से सभी के लिए संदत्त कार्य जो उसको करना चाहते है। यह कार्य पूर्ण या अंशकालिक हो सकता है, सिद्वान्त का हम समर्थन करते हैं।

हमें बेरोजगारी को, किसी व्यक्ति के लिए जो श्रम करना चाहता है, हेतु संदत्त कार्य की अनुलब्धता के रूप में परिभाषित करना चाहिए।

हम प्रत्यक्ष रूप से इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि बेरोजगार लोग समाज को कोई उपयोगी सहयोग नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार की इच्छा नहीं रखते परन्तु उत्पादित, आर्थिक और/या सामाजिक और आर्थिक उपयोगिता की क्रियाकलाप के द्वारा समाज को सहयोग देते हैं, उन्हें अपर्याप्त मानने को हम स्वीकार नहीं करते।

हम सभी भेदभाव और असामनता जो काम के स्वरूप में दिखाई देती है, को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि आज जबकि समाज की अर्थव्यवस्था और अधिक ग्राहकवाद ने पहले ही पर्यावरण और लोगों को बुरी तरह दबा रखा है, आर्थिक वृद्धि बेरोज़गारी की समस्या का एक अधूरा समाधान है। आर्थिक और बौद्धिक सिद्धान्त यह कि आर्थिक नीति में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर मुख्य ध्यान होना चाहिए, इस पर हम पुनर्विचार चाहते हैं। वैश्वीकरण में अवरोध महत्वपूर्ण पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक कारणों से जरूरी हैं। घरेलू उद्योगों में रोजगारों की सुरक्षा इन महत्वपूर्ण सामाजिक कारणों में से एक है, और रोजगार को इस तरह की सुरक्षा कम सामान तथा सामानों के कम परिवहन से पर्यावरणीय लाभ भी होगा। सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों की तुलना सम्पूर्ण आर्थिक लागत गौण महत्व की हो जाती है। इसलिए यह सुरक्षा सामाजिक लाभ के लिए लाजिम है।

वर्तमान परिस्थितियों का तार्किक परिणाम

यह है कि आवश्यकता कम औपचारिक कार्य की है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए और अधिक मुक्त समय उपलब्ध होगा। इस तरह हम कार्य के कम मानक घंटों के लिए प्रयत्न करेंगे और बढ़े हुए असंदत्त कार्य की वर्तमान अभिवृत्ति को बदलने के लिए कार्य करेंगे।

मूलभूत रूप से नये संदर्शों को अपनाने की जरूरत है। हरित दृष्टि ऐसा दृष्टिकोण है जहां कार्य, सुविधा और आय को समान रूप से बांटा जाता है। हरित समाज में हर व्यक्ति को अपने समय पर अधिकार है। लोगों को सुख-सुविधा, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने, पर्यावरण और समाज के लिए समय मिलना चाहिए। लोगों को राजनीति का बेहतर ज्ञान रखने और उसमें भाग लेने के लिए भी समय होना चाहिए।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र एवं राज्य सरकार रोजगार, बाजार श्रम और आय नीति का प्रस्ताव करेगी। जो उचित सुरक्षा व्यवस्था की प्रतिबद्धता के साथ समुचित रूप से सभी लोगों के उचित व्यवसाय को पुरस्कृत और मान्यता देगी।

हमारा लक्ष्य रोजगार में भेदभाव और विविधता को दूर करना है और लिंग, आयु या आचरगत के भेद को नकारते हुए सभी भारतीयों की समान भागीदारी को बढ़ाना है।

ऐसे समाज की स्थापना के लिए कार्य करना होगा जिसमे:

(क) सभी को रोजगार का लक्ष्य होगा जैसा ऊपर परिभाषित है।

(ख) वर्तमान के विपरीत संदत्त कार्य के कम घंटे का नियम।

(ग) लोग स्वस्फूर्ति, सुरक्षा और भौतिक सुख का आनन्द लें भले ही उन्हें काम मिला है या नहीं।

(घ) हमारी ऐसी मान्यता है कि सभी लोग चाहे वे संदत्त रोजगार में लगे हों अथवा नहीं, सामाजिक उन्नति में योगदान करने की क्षमता रखते हैं।

(ङ) शैक्षणिक, सृजनात्मक और पुनर्सृजनात्मक अवसर और संसाधन सभी लोगों को उपलब्ध कराना। ऐसा करते समय आयु, संदत्त रोजगार में है या नहीं का भेदभाव नहीं किया जाता और

(च) ऐसे क्रियाकलाप जो समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक हैं उनका सम्मान किया जाता है भले ही उसके लिए धन की पेशगी औपचारिक अर्थव्यवस्था द्वारा की जाती है अथवा अनौपचारिक क्षेत्रा द्वारा।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिपालनीय कार्यों की बहुतायत है जिन्हें करने की जरूरत है तथा एक परिकल्पना के आधार पर रोजगार पैदा करने और उनका बंटवारा करने के लिए सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विनिर्माण और सेवाओं के भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल अथवा कम से

कम सौम्य बनाया जा सकता है इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हमें इन बातों का भी प्रस्ताव करना चाहिए ताकि:

(क) ऐसी पद्धति की व्यवस्था की जाये जिसमें सभी नागरिकों को पर्याप्त आय की गारन्टी का अधिकार हो।

(ख) ऐसे समाज की स्थापना जिसमें संदत्त कार्य का वितरण वर्तमान के विपरीत और अधिक समान रूप से हो।

(ग) रोजगार के बंटवारे में अधिक से अधिक साम्यता है, क्योंकि सभी के लिए पूर्ण कालिक रोजगारों की कमी है।

(घ) जरूरत इस बात की है कि सुविधाजनक समय अधिक हो और लोग तनावग्रस्त कम हों तथा विविध लिंग, जन्म स्थान सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच काम के बंटवारे को लेकर व्यापक समानता हो।

(ङ) पारिस्थितिकी रूप से प्रतिपालनीय उद्योगों की स्थापना।

(च) ऐसा विधान तैयार करना जो ऐसे लोगों में भेदभाव को रोकता हो जिनको औपचारिक रोजगार नहीं मिला है।

(छ) सरकार की ओर से कार्य की परिभाषा को लेकर सार्वजनिक चर्चा हो।

(ज) गैर भौतिकवादी संस्कृति का विकास हो ताकि अनावश्यक खपत को कम किया जा सके।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण नीति

1.1 सिद्धान्त

1.1.1 सम्बोधित असामनता

केन्द्र सरकार को एक ऐसी पद्धति का प्रस्ताव करना चाहिए जहाँ केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी और आवश्यक होने पर अपने कार्यक्रमों को आवश्यक रूप से लागू करेगी ताकि भारत में मूल सेवाओं का विषम वितरण समाप्त हो। आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूल सेवाओं में वर्तमान विषमता इसका एक उदाहरण हैं।

1.1.2 काम पुनः परिभाषित होगा

केन्द्र सरकार को कार्य और बेरोजगारी को पुनः परिभाषित करने का आह्vान करना चाहिए।

1.2 लक्ष्य

1.2.1 सकारात्मक रुख

केन्द्र सरकार को भारतीय समुदाय के अलाभकारी समूह की लगातार आवश्यकता पर प्रकाश डालने को मान्यता देनी चाहिए। ऐसी सकारात्मक नीति को सुनिश्चित करना ताकि पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिये भी समान अवसर मिल सके।

1.2.2 समुदायों को मजबूत करना

यदि हमें पृथ्वी की देखभाल और विश्वव्यापी अन्याय और असामनता का समाधान ढूंढना हो तो हमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सामने रखना होगा। जहाँ तक विश्व का संबंध है

इसके भाग्य के निर्माण में विविध समुदायों के क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके ये क्रियाकलाप स्थानीय पहल को बनाने में उनकी योग्यता और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर परिवर्तनों को लाने में उनकी सामूहिक योग्यता में निहित है। इसलिए हमारी नीतियाँ स्थानीय जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय विकास की पहल और विकास को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों की प्रबंधन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखकर तैयार की जाती है।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

1.3.1 आय सुरक्षा

केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव करना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा पद्धति में सुधार हो और यह सरल हो और इसे अधिक समान बनाया जाए:

(क) प्रौढ़ और युवा लोगों में बेरोजगारी, अध्ययन, अक्षमता विशेष लाभ और वृद्ध पेंशन की अदायगी को अलग-अलग करना।

(ख) युवाओं को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता न्यायसंग हो तथा समय के साथ वास्तविक रहन सहन की लागत के अनुरूप उसमें वृद्धि हो।

(ग) बच्चों को समर्थन और पारिवारिक भत्ते की अदायगी को मिलाना और बच्चों की देखभाल की लागत में वृद्धि करना।

(घ) सभी आय और रहन सहन की लागत में बदलाव के अन्य स्तर को जोड़ना, जिससे मुद्रा स्फीति की स्थिति में स्वतः सामंजस्य स्थापित हो जाए।

1.3.2 असमानता दूर करना

केन्द्र सरकार को प्रस्ताव करना चाहिए कि सार्वजनिक आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन कार्यक्रम में उपेक्षित लोगों तथा समुदाय पर विशेष ध्यान दिया जाये।

1.3.3 सामुदायिक विकास

केन्द्र सरकार को प्रस्ताव करना चाहिए कि:

(क) स्थानीय और क्षेत्रीय योजना और प्रतिपालनीय विकास में भागीदारी के लिए स्थानीय लोगों तथा समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) राज्य सरकारों और क्षेत्रीय संगठनों द्‌वारा पारिस्थितिकीय प्रतिपालनीयता की नीति, योजना के कार्यान्वयन, तैयारी और समन्वयन के लिए सरकारी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी को समर्थन देने वाले उद्‌यमों को आर्थिक सहायता दी जाये।

(घ) ग्रामीण समुदायों की मजबूती में सहायक ग्रामीण सामुदायिक कार्यक्रम, रोज़गार के लिये समुन्नत अवसर, सांस्कृतिक और युवा कार्यक्रमों के लिए धनराशि का प्रावधान हो।

औद्‌योगिक संबंध एवं श्रम नीति

1.1 सिद्धान्त

औद्‌योगिक संबंध में प्रथम बिन्दु, जैसा कि सभी नीतियों के क्षेत्रों में है, आचार संहिता है। काम करने के स्थान पर श्रमिकों को शक्तिशाली बनने और सुरक्षा, सामाजिक रूप

से उपयोगी और उत्पादक कार्य में लगने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। कार्य स्थल संरचना में लाभ और कुशलता महत्वपूर्ण है लेकिन ये गौण हैं।

औद्योगिक संबंधों में केन्द्रीय मुद्दा जनहित की सुरक्षा के लिए पंचाट को बनाये रखना है।

हमें इन बातों का समर्थन करना चाहिए:
(क) सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, संतुष्टिपूर्ण और सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य की उपलब्धता आवश्यक है।
(ख) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करने का कर्मचारियों को अवसर देना।
(ग) सभी कर्मचारियों के लिए समान तथा सही व्यवहार सुनिश्चित करना।
(घ) औद्योगिक कानूनों के बारे में सरकार, कर्मचारियों और मजूदर संघों के बीच प्रभावी सलाह-परामर्श।
(ङ) उचित और प्रभावी औद्योगिक संबंध प्रक्रिया के लिए पंचाट और समझौते की प्रक्रिया।
(च) बगैर कानूनी बाधा के अपने वैध हितों की सुरक्षा और उन्नयन के लिए संघर्ष करने के लिए मजदूर संघों को अधिकार देना।
(छ) विशेष कानून द्वारा कर्मचारियों के चार्टर की स्थापना।
(ज) सहभागितापूर्ण योजना में सभी कर्मचारियों को हिस्सा लेने का अधिकार।
(झ) भारतीय औद्योगिक संबंध आयोग की औद्योगिक झगड़ों में पंचाट के रूप में बड़ी भूमिका स्थापित करना, जो सामाजिक और पर्यावरणीय आशय से संबंधित झगड़ों को सुनेगा।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए:
(क) औद्योगिक पुरस्कार की पद्धति को बनाना।
(ख) सभी कर्मचारियों को समान अवसर देने की पद्धति को अपनाना।
(ग) लचर और जनतांत्रिक पद्धति और संरचना का विकास।
(घ) कार्य स्थान में स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम मानदण्डों का समर्थन।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्यों का अनुपालन करें:
(क) वैध मजूदर संघों की क्रियाकलापों में बहिष्कार और धरना जैसी क्रियाकलापों के खिलाफ कानून और अन्य केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत के प्रावधानों को समाप्त करना और सामान्य कानूनों के तहत उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
(ख) राष्ट्रीय ढांचा में कर्मचारियों के लिए मान्य प्रशिक्षण और कौशल विकास का अवसर प्रदान करना।
(ग) अधिक लचर कार्य प्रबंध/घंटों का सरल प्रावधान और राष्ट्रीय पद्धति के औद्योगिक संबंधों का समर्थन जहां ये श्रमिकों की कार्य

संतुष्टि, आय या पारिवारिक जीवन की कीमत पर नहीं बनाये गये हैं।

(घ) मजदूर संघों के सदस्यों की रोजगार की प्रकृति, यथा आकस्मिक अथवा अंशकालिक के आधार पर भेदभाव किये बगैर केन्द्रीय औद्योगिक संबंधों में भागीदारी सुनिश्चित करना।

(च) उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिसके मजदूर या तो खुद मालिक हों या वे खुद उनका प्रबन्धन कर रहे हों अथवा जिन में मजदूरों का अधिकाधिक मालिकाना हो।

(छ) उपक्रम के प्रबंध में सामूहिक मोल भाव और अन्य औद्योगिक बातचीत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली समुचित प्रक्रिया को लागू करना।

(ज) उन कानूनों को समर्थन देना जिनके तहत नियोजक संबंधित मजदूर संघ को मान्यता दें तथा उसके साथ बातचीत कर मसला हल करें।

(झ) केवल उन्ही औद्योगिक समझौतों का समर्थन देना जिनके द्वारा समझौतों अथवा समझौतों की शर्तों की महत्ता नहीं घटे तथा जिनमें नियोजक और मजदूरों की सहभागिता हो।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि बेरोजगारों के संगठनों को आवश्यक संसाधन दिया जाये ताकि समाज में उनकी आवाज को महत्व मिले।

ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण

1.1 सिद्वान्त

1.1.1 ग्रामीण समुदायों की पुनर्संरचना

यदि हमें पृथ्वीं की देखभाल और विश्वव्यापी अन्याय और असमानता का समाधान ढूढंना है तो हमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सामने रखना होगा। जहाँ तक विश्व का संबंध हैं, इसके भाग्य के निर्माण में विविध समुदायों की क्रियाकलापों की महत्वूपर्ण भूमिका है। उनके ये क्रिया-कलाप स्थानीय पहल को बनाने और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर परिवर्तनों को लाने में उनकी सामूहिक योग्यता में निहित है। इसलिए हमारी नीतियाँ स्थानीय जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय स्थायी विकास की पहल एवं विकास के आयोजन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों की प्रबंधन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखकर तैयार की जाती हैं।

ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाने के लिए हमारी नीति इस मान्यता पर आधारित है कि ग्रामीण समुदायों की परिस्थिति में, जिसमें व्यावसायिक अवसर बहुत सीमित है, परिवार के सदस्यों को काम की तलाश में मूल-स्थान छोड़ना पड़ता है, जहाँ रोजगार कम हो गये हैं और जहां सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर प्रतिबंधित है, ऐसी परिस्थिति पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है और समाधान के लिए समुदाय और क्षेत्रीय विकास के संबंध में उठाये गये सकारात्मक कदमों को कार्य-रूप देने की जरूरत है।

केन्द्र सरकार को यह मानना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय ग्रामीण समुदाय सरकारी

नीतियों के अधीन कार्य करते हैं जिससे समुदायों को जीवन का स्तर पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसी तरह सरकारी नीतियों से उत्पादकों की क्षमता के अन्दरूनी बाजारों में पहुंच भी प्रभावित हो रही है। केन्द्र सरकार ऐसी अर्थव्यवस्था से सावधान रहेगी जो असमान और कमजोर हो। प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात का लाभ रखने वाले उद्योगों की विशेषज्ञता को बढ़ावा देना जबकि जो उद्योग विदेशी आयात के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं करते, उन्हें छोड़ देना होगा।

कार्यकुशल और प्रतिपालनीय कृषि क्षेत्र स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के व्यावहारिक दृष्टिकोण और ग्रामीण भारत के पुनरोत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नीतियां ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाने और कृषि के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय कृषि और समुदाय की भूमिका मान्य करती हैं।

हम यह मानते हैं कि आज के प्रौद्योगिक समाज में व्यक्ति की सशक्ता सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली के बेहतर प्रयोग में उसकी योग्यता पर निर्भर करेगी।

हमें उन शिक्षा नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो सभी भारतीयों के लिए ऐसे अवसर बढ़ायें जिनमें वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी साक्षरता के क्षेत्र में अपने पूरे सामर्थ्य का प्रयोग कर सकें।

1.1.2 भौतिक पर्यावरण

इस समय कृषि पद्धतियां कृषि क्षेत्रों में पारिस्थितिकी क्षमता के बाहर जाकर काम कर रही हैं। इससे ग्रामीण समुदायों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो जैव विविधता के लिए घातक हैं, उनसे लम्बे समय तक कृषि व्यावहारिक नहीं है और इसमें वर्तमान में लागू अनुचित भूमि प्रबंध पद्धति एक अवरोध है, जो निम्नलिखित है:

(1) स्थानीय पेड़-पौधों की कानूनी या गैरकानूनी तौर पर कटाई।

(2) नदियों या जल धाराओं में कम बहाव क्षेत्र या और बदलाव।

(3) मृदा कटाव और क्षरण।

(4) रासायनिक सम्मिश्रणों का पर्यावास और खाद्य स्रोतों को प्रदूषित करना।

(5) जल प्रदूषण

(6) सिंचाई, और

(7) अधिक अनुचित या बर्बर पशु उत्पादन का प्रचलन।

(8) भूमि अपक्षय को रोकने के लिए यदि आवश्यक कदम नहीं उठाये गये तो भूमि अपक्षय की कीमत अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को चुकाना पड़ेगा। भूमि अपक्षरण में कृषि आर्थिक दबाव का योगदान है। ऋण की अदायगी के लिए किसान को अपनी भूमि से अधिक आय की प्रायः आवश्यकता होती है। असहानुभूति पूर्ण बैंकों, आवश्यक सामानों के मूल्य में उतार-चढ़ाव और अविश्वसनीय जलवायु से वित्तीय दबाव में बढ़ोतरी होती है। भारत में भूमि क्षरण की कीमत अब करोड़ो रुपयों में प्रत्येक वर्ष आंकी जा रही है ग्रामीण समुदायों पर भी इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है।

हमारी जल नीति सम्पूर्ण आवाह दृष्टिकोण पर आधारित जल प्रबंध को मान्यता देती है। यदि भारत में जल आपूर्ति के प्रबंध में बाजारी प्रतिस्पर्धा जारी की जाये तो उससे सामाजिक और पर्यावरणीय जवाबदेही और उत्तरदायित्व को नुकसान पहुँचेगा तथा लोगों में जल का समान वितरण नहीं हो पायेगा।

1.2 लक्ष्य

1.2.1 ग्रामीण समुदायों की सेवाओं का प्रावधान

हमारा निम्नलिखित उद्देश्य होगा:

(क) जहां व्यवहार्य हो वहां महानगरीय सेवाओं के अनुरूप सेवाओं का प्रावधान करना, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, समुदाय सेवा, संचार (डाक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित), खेल सुविधाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबद्ध सेवाएं।

(ख) ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था करना जो इस बात को सुनिश्चित करते हों कि ग्रामवासी जीवन की तुलनीय गुणवत्ता प्राप्त करते हैं और उनकी पहुंच सेवाओं तक होती है।

(ग) ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था करना जिनसे ग्रामवासी संस्कृति और ज्ञान का महत्व समझने के योग्य हो सकें,

(घ) सार्वजनिक परिवहन और संचार व्यवस्था को (जिसमें डाक सेवाएं सम्मिलित हैं) सुसाध्य बनाना और भारत के ग्रामीण लोगों की परिवहन सेवा तक पहुंच को सरल बनाना।

1.2.2 समुदाय की सरकार में भागीदारी

हमने इस संबंध में निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है:

(क) दीर्घ अवधि में जहां संभव हो निर्णय लेने की प्रक्रिया जैव क्षेत्रा के विचारों और सामाजिक अन्तर-क्रिया की पद्धति द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए,

(ख) सामुदायिक सेवाएं और स्थानीय पर्यावरण नीति जितना संभव हो उपभोक्ता सेवाओं के ज्यादा से ज्यादा संभव स्तर तक होना चाहिए, और

(ग) क्षेत्रीय आयोजन और संगठन की ओर कदम उठाये जाने चाहिए ताकि सरकार की प्रणाली का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो सके।

1.2.3 पर्यावरण

हमारे उद्देश्य निम्नस्थ हैं:

(क) जलाशय पद्धति से मानव के प्रयोग के लिए जल का भंडार बनाये रखना और उस पर आश्रित पारिस्थितिकी प्रणालियों और सभी बहाव को पर्यावरण के अनुकूल बनाये रखना।

(ख) भूमिगत जलप्रणाली से प्राप्त जल को उस सीमा तक सीमित रखना, जहां तक उसकी भराई होती है, और

(ग) सभी प्रमुख जल प्रदाय वितरण, नाली और निर्गमन व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियंत्रण को बनाये रखना।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

1.3.1 ग्रामीण समुदायों के लिए सेवाओं का प्रावधान

केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए कार्य करेगीः

(क) अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए कार्य करना जिस तक ग्रामीण लोगों सहित सभी की पंहुच की गारन्टी हो,

(ख) ऐसे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हों या क्षेत्रीय अथवा दूरी के कारण से उनका नुकसान होता है।

(ग) आत्म हत्या की दर को विशेष रूप से युवा लोगों और ग्रामीण क्षेत्रा के लोगों में कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करना।

1.3.2. ग्रामीण समुदायों के युवा लोगों की सहायता

केन्द्र सरकार समर्थन करती है:

(क) ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं सहित वंचित युवा पीढ़ी के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, और

(ख) क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में युवा लोगों के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाना और समुदाय आधारित संगठनों को जो पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक रूप से उपयोगी रोजगार अवसरों को पैदा करते हैं, को अधिकाधिक मान्यता देना।

1.3.3 सरकार में सामुदायिक भागीदारी

केन्द्र सरकार प्रस्ताव करती है कि:

(क) स्थानीय शासन और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय नीतिगत योजनाओं के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से धन उपलब्ध कराना, और

(ख) स्थानीय और क्षेत्रीय योजना और स्थायी विकास कार्यक्रम में स्थानीय हित समूहों की भागीदारी बनाने के लिए उनके सहायतार्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

1.3.4 व्यापार

केन्द्र सरकार कृषि सब्सिडी के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में उसकी समीक्षा करने का समर्थन करेगी।

1.3.5 पर्यावरण

केन्द्र सरकार निम्न के लिए कार्य करेगीः

(क) पर्यावरण से संबंधित मामलों पर अति आवश्यक कार्य के रूप में अमल करना, राष्ट्रीय कानूनों की व्यवस्था, प्राकृतिक वनस्पतियों की समाप्ति को रोकने के लिए कार्य करना तथा साथ राज्य स्तर पर और/या क्षेत्रीय स्तर पर सहायक उपबन्धों की व्यवस्था करना,

(ख) वाणिज्यिक वन उत्पादन को विविध कृषि उद्यमों के साथ समेकित करना और इसके लिए बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(ग) ऐसे वैकल्पिक रेशम उद्योगों के विकास को समर्थन देना जो पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं।

(घ) स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर पारिस्थितिकीय दृष्टि से प्रतिपालनीय उद्योगों का आयोजन और उन्हें चालू करने के लिए धन उपलब्ध कराना,

(ङ) पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय खेती की पद्धतियों को सहायता देने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी दवाओं के लिए कराधान सरंचना में परिवर्तन का

प्रस्ताव करना। इन उत्पादों पर लगे उपकर को किसान समुदाय में शिक्षा, सूचना और एकीकृत तथा गैर रासयनिक कीट प्रबंधन एवं प्रतिपालनीय कृषि पद्धतियों तथा अन्य समुचित कार्यक्रमों के द्वारा किसानों में वितरित किया जायेगा।

(च) कृषि और चारागाही क्षेत्रा में मृदा की प्राकृतिक विविधता और उत्पादकता बनाये रखना अथवा बहाल करना।

(छ) ग्रामवासियों को सहायता देने के लिए सूचना और कम दर पर ऋण देने का लाभप्रद कार्यक्रम लागू कराना।

(1) घरेलू और कृषि के लिए बिजली आपूर्ति के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का चुनाव करना, और

(2) घरेलू और कृषि कार्य के लिए जल संरक्षण पद्धतियों को अपनाना।

नशीली दवायें और व्यसन नियंत्रण नीति

1.1 सिद्धान्त

जनतांत्रिक समाज में जिसमें विविधता को स्वीकार किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्ण वैयक्तिक विकास का अवसर मिलता है। यह माना जाता है कि इस विकास के साधन और उद्देश्य के बारे में उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर लोगों के बीच पूर्ण भिन्नता हो सकती है। इनमें से कुछ लोग समय विशेष में नशीली दवाओं के प्रयोग में लिप्त हो जाते हैं।

दवाओं के वर्गीकरण और विनियम सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी पर आधारित होने चाहिए। इस संबंध में सूचना निःशुल्क उपल्ब्ध होनी चाहिये। नियमन का उद्देश्य बेहतर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण होना चाहिए। नशीली दवाओं के प्रयोगकर्ताओं के बीच कार्यक्रम प्रक्रिया का जोर नुकसान को कम करने और उनके जीवन विकल्प को बढ़ाने पर होना चाहिए।

केन्द्र सरकार को निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान देना होगा:

(क) स्वास्थ्य पर नशीली दवाओं के प्रभावों के आधार पर दवाओं का अधिक समुचित वर्गीकरण।

(ख) दवाओं के बारे में संगत सूचनाओं की व्यापक उपलब्धता।

(ग) दवाओं को गैर अपराधीकरण।

(घ) नशीली दवाओं के प्रयोग और व्यापक मुद्दे जैसे - आत्महत्या, बेरोजगारी, घर विहीनता, भविष्य की प्रति आशा की कमी आदि के बीच संबंधों को बनाना, इन समस्याओं की तरफ काम करते हुए उनका समाधान करना तथा नशीली दवाओं के अधिक प्रयोग की ओर ध्यान देना। नशीली दवाओं का अधिक प्रयोग बीमारी का लक्षण न कि कारण होता है।

(ङ) समुचित अनुवर्ती कार्रवाई सहित प्रयोगकर्ताओं की निंदा किये बगैर समुदाय आधारित परामर्शी और समर्थन सेवा की व्यापक उपलब्धता।

1.3 अल्पावधि के लक्ष्य

1.3.1 अवैध दवायें

केन्द्र सरकार विश्वास करती है कि अपेक्षाकृत हल्की कम नशे वाली दवायें अधिक आसानी से उपलब्ध होनी चाहिये। अनुसंधानों से पता चला है कि ऐसी उपलब्धता अधिक शक्ति की दवाओं के प्रयोग को कम करती है।

1.3.2 नियंत्रित दवायें

केन्द्र सरकार निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिये कार्य करेगीः

(क) चिकित्सकों द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली उन दवाओं के प्रभाव और नशों के बारे में स्वतंत्र शोध करना जिनसे बच्चों में अत्यधिक चंचलता आने से लेकर युवाओं में तनाव और विषाद का भाव पैदा होते हैं ताकि उन दवाओं के प्रयोग पर अधिक से अधिक नियंत्रण लगाया जा सके।

(ख) दवाओं के लेबल पर इनके दुष्प्रभावों के बारे में आवश्यक रूप से साफ-साफ चेतावनी लिखी होनी चाहिए तथा चिकित्सक रोगी को इस बारे में अवश्य अवगत करायें।

(ग) खाद्य-मिश्रकों के दीर्घगामी तथा लघुगामी प्रभावों के बारे में स्वतंत्र शोध होना चाहिए।

1.3.3 आसानी से उपलब्ध दवायें

केन्द्र सरकार निम्न के बारे में शीघ्र कार्रवाई करेगीः

(क) युवा लोगों में, विशेषकर तम्बाकू और शराब का सेवन करने वालों के बीच, इन पदार्थों की छवि कम करने के लिए सभी संभव कदम उठाना। उसमें तम्बाकू और शराब विज्ञापन पर रोक लगाना तथा इसके प्रायोजन पर रोक लगाना शमिल है।

(ख) सुनिश्चित करना कि सिगरेट न पीने वालों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचे।

(ग) अपराध, हिंसा और लापरवाही के अपराध के प्रतिफल से बचने का बहाना शराब पीने को रोकने को न बनाया जा सके।

(घ) 18 वर्ष की उम्र से कम के लोगों को शराब बेचने पर प्रतिबंध लगे।

1.3.4 नशाखोरों का उपचार

केन्द्र सरकार निम्नलिखित व्यवस्था के लिए कार्य करेगी:

(क) उपचार तथा समुचित अनुवर्ती सेवा की निःशुल्क उपलब्धता,

(ख) वृद्ध, बच्चों के माता-पिता और युवा-सहित सभी को उपचार की सेवा प्रदान करना।

(ग) गैर सरकारी संगठनों की मदद से नशाखोरों का पता लगाना तथा उनके आचार-विचार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करना ताकि वे नशा का सेवन न करें।

(घ) ऐसे नशाखोरों को मुख्य धारा में लाने के लिए वैकल्पिक सहायक तथा ऊर्जाशील दवाओं सहित आधुनिक चिकित्सा की मदद लेना।

(ङ) आधुनिक चिकित्सा तथा वैकल्पिक, सहायक और ऊर्जाशील चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से नशे की लत छुटाने के लिए शिविर लगाना।

पर्यावरण संरक्षण नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार मानती है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाये रखने के लिए जो प्रणालियाँ सहायक हैं, वे मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं। अपने लक्ष्यों के अनुसरण में हम साम्यता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे, और समाज के वे केन्द्र जो पर्यावरण के गिरते स्तर को पुनः व्यवस्थित करने में लगने वाले व्यय का वहन नहीं कर सकते उन्हें नुकसान नही उठाने दिया जायेगा।

पर्यावरण नीति के अमल में केन्द्र सरकार पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता के लिए निम्नलिखित आधार पर प्रयास कर रही है:

(क) जैव विविधता की सुरक्षा और पारिस्थितिकी की अखंडता को बनाये रखना।
(ख) पृथ्वी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना तथा उनके प्रयोग से उत्पन्न कचरे को समाहित करना।
(ग) विभिन्न पीढ़ियों के आन्तरिक तथा पारस्परिक साम्यता बनाये रखना।
(घ) जिन मामलों में पर्यावरण को भयानक तथा स्थायी खतरा हो उन परिस्थितियों में निर्णय सावधानीपूर्वक और पर्यावरण के पक्ष में लिये जाने चाहिए और ऐसे लिए गये निर्णयों के परिणामों का दायित्व प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक विकास करने वालों पर होना चाहिए जिससे यह पता रहे कि जिन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है वह पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता के अनुकूल है।

पारिस्थितिकी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे समाज को समय के भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। वह समाज भौतिक या पारिस्थितिकीय सीमा को अमान्य करने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा समाज हो जो यह माने कि पारिस्थितिकी संरचना पृथ्वी की क्षमता के अन्तर्गत बनी रहनी चाहिए और जीवन की विविधता को पृथ्वी बनाये रखने में सहायक हो। इसका अर्थ है कि कम में ही गुजारा करने की बुद्धिमता होनी चाहिए। भौतिक संसाधनों और ऊर्जा के अधिक कुशल उपयोग की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। समाज और आर्थिक प्रक्रियाएं जिस सीमा में काम करेंगी यह स्पष्ट होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इन सीमाओं को परिभाषित कर दिया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें तथा उनकी प्राप्ति का आंकलन आसानी से लगाया जा सके।

केन्द्र सरकार निम्न लक्ष्यों और सीमाओं को अपने देश की पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता के लिए आवश्यक मानती है।

1.1 लक्ष्य

केन्द्र सरकार का उद्देश्य इस प्रकार है:
(क) भारत और विश्व में एक ऐसे पारिस्थितिकी रूप से प्रतिपालनीय समाज की स्थापना हो जो पुनर्नवीकरण की क्षमता को पहचानता हो।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करना कि मानव क्रियाकलाप पारिस्थितिकी के सभी तत्वों, उप प्रजातियों तथा अन्य पारिस्थितिकी समुदायों की यथेष्ट सुरक्षा करें जिनका कि मानव खुद एक हिस्सा है।

(ग) भूतल जलीय पद्धति द्वारा मानव प्रयोग के लिए जल संग्रहण करना और सभी नदी प्रणालियों तथा उन पर आश्रित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों को बरकरार रखना। भूमिगत जल प्रणाली से निकाले गए पानी की मात्रा उतनी ही रखनी जितनी प्राकृतिक रूप से उसकी भरपाई होती रहती है।

(ङ) कार्बनडाइक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों को कम करना।

(च) ऊपरी वातावरण में ओजेन को नुकसान पहुँचाने वाली मानव-निर्मित वस्तुओं की उपस्थिति को समाप्त करना।

(छ) ठोस, द्रव और गैसीय कूड़ा की सम्पूर्ण मात्राओं को कम करना जो पर्यावरण में हर साल पहुँचते रहते हैं।

(ज) प्राकृतिक विविधता और कृषि में मृदा की उत्पादकता और चारागाही क्षेत्रों को बचाना और बनाए रखना।

(झ) मानव निर्मित संरचना द्वारा ग्रहण की गई सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रा (परिवहन, इमारतें, सड़कें) और कृषि (चराई, फसल) को कम करना।

(ञ) ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और स्थानीय लोगों के बीच नजदीकी सम्पर्क को आगे बढ़ाना, ताकि वे अपनी स्वदेशी ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपनी भूमि का प्रबंध ऐसा करें जिससे पर्यावरण का प्रतिपालन हो सके।

(ट) पर्यावरण सुरक्षा की आयोजना और अमल में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रावधान करना।

(ठ) पर्यावरण संबंधी जागृति को बढ़ाना जिससे भारतीयों में पर्यावरण बचाने की इच्छा जागे।

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय साम्यता का सिद्धान्त सभी पर्यावरणीय कार्यक्रमों में लागू करना।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

1.3.1 जैव विविधता

केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए कार्य करेगीः

(क) संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए घरेलू सुरक्षा लागू करने और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करना,

(ख) राज्य और या स्थानीय स्तर पर पूरक उपबन्धों सहित स्वाभाविक वनस्पति की स्वच्छता का नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, और

(ग) स्थलीय और समुद्रीय सुरक्षित क्षेत्रों के लिए स्थापित प्रणालियों को जिनका प्रबंध प्राथमिक रूप से जैव विविधता की सुरक्षा के लिए किया गया था और अधिक व्यापक और व्यहार्य बनाना। इस प्रणाली में घने जंगलों के शेष बचे सभी स्थान शामिल हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वच्छन्द और सुरम्य नदियों की सुरक्षा की जायेगी जो आवश्यक रूप से आदिम स्थिति में बनी हुई हैं।

(घ) कृषि भूमि पर स्वतः खनन अधिकार और खनन खोज पर प्रतिबन्ध।

1.3.2 जंगल और लकड़ी उत्पादन
केन्द्र सरकार निम्न कार्य करेगी:
(क) पुराने जंगलों एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व के अन्य स्थानीय जंगलों के कटाव को तत्काल रोकना। पुनः बढ़ने वाले जंगलों सहित मूल जंगलों की कटाई को विभिन्न चरणों में पूरी तरह समाप्त करना।
(ख) लकड़ी उत्पाद उद्योग योजना को स्वीकार करना ताकि पौध रोपण से लकड़ी की अधिकतम संभव घेरलू उपयोग को प्रोत्साहित करने के जरिये पौध रोपण वाले जंगल से लकड़ी का मिलना तेज हो सके और पुनः पौध रोपण को बढ़ावा मिले। इस योजना के पूरक के रूप में स्थानीय जंगल पर आधारित उद्योग से विस्थापित होने वाले कामगारों को पुनर्प्रशिक्षण और दूसरी सहायता को एक मुश्त रूप में देना।
(ग) वाणिज्यिक लकड़ी उत्पादन को विविध कृषि उपक्रमों से जोड़ना। उत्पादन और उचित विवरण प्रणाली की व्यवस्था द्वारा इसे सम्भव बनाना।
(घ) वैकल्पिक तन्तु उद्योगों के विकास को समर्थन देना जहाँ वे अधिक पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता रखते हैं।

1.3.3 खनन और खनिज खोज
केन्द्र सरकार निम्न कार्य करेगी:
(क) प्रकृति को संरक्षण देने वाले सुरक्षित स्थलों पर खनिज खोज और खनन के साथ-साथ पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस की निकास पर प्रतिबंध लगाना। इसमें राष्ट्रीय पार्क, जंगल और दूसरे उत्कृष्ट प्राकृतिक संरक्षण मूल्य के क्षेत्रा शामिल हैं।
(ख) तटीय क्षेत्रों से रेत खनन प्रचालन पर प्रतिबंध लगाना।

1.3.4. सामुद्रिक पर्यावरण और मात्स्यिकी
केन्द्र सरकार निम्न कार्य करेंगी:
(क) भारतीय जल क्षेत्रा में सामुद्रिक सुरक्षित क्षेत्रा की व्यापक प्रणाली को स्थापित करने के लिए कार्य करना, और
(ख) विद्यमान मत्स्य पालन के क्षेत्र में अधिक मछली पकड़ने को तत्काल रोकने के लिए कार्य करना। पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता की तात्कालिक आवश्यकता को निर्धारित करना और तदनुसार प्रतिपालनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करना।

1.3.5 वातावरण परिवर्तन और ओजोन क्षीणता
केन्द्र सरकार निम्न के लिए कार्य करेगीः
(क) कार्बन डाईआक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय और स्थानीय ऊर्जा नीतियों को सुसंगत करना।
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का समर्थन करना ताकि सभी औद्योगिक देशों के लिए इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन सीमा निश्चित की जा सके, और
(ग) कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, सी.एफ.सी. और हेलॉन के उत्पादन पर तत्काल रोक और एच. सी.

एफ. सी. और मिथाइल ब्रोमाइड के उत्पादन को 2020 तक रोकना।

1.3.6 सरकार की मशीनरी

केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिये कार्य करेगी:

(क) सार्वजनिक प्राधिकरणों के पर्यावरणीय क्रियाकलापों के लिए निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वतंत्रा रूप से प्राप्य धन की व्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्रा आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाना।

(ख) पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 को सुदृढ़ करना।

(ग) अच्छे संसाधनों के अनुकूल सांख्यिकी निगरानी के समन्वित नेटवर्क का विकास करना जिस तक लोगों की सहज पहुँच हो। स्थानीय सरकार, राज्य/केन्द्रशासित या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सरकार ऐसे कानून निर्धारित करने और उसका कार्यान्वयन करने का संवैधानिक अधिकार रखती है जो पर्यावरण से संबंध रखते हैं। सरकार की पर्यावरण नीति कठोर न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप होगी तथा उसका पर्यवेक्षण उसी सीमा में किया जायेगा।

समुद्र तट प्रबन्धन नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार की नीतियां हमारे समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित है जो प्रतिपालनीय पारिस्थितिकीय विकास में सहायक है:

(क) जैविक विविधता की सुरक्षा और पारिस्थितिकी अखण्डता को बनाये रखना।

(ख) पृथ्वी के भौतिक संसाधनों का उपयोग और उनकी आपूर्ति और उनके उपयोग से उत्पन्न कचरे को आत्मसात् करने की क्षमता के अनुरूप किया जाना।

(ग) विभिन्न पीढ़ियों के आन्तरिक और उनके अपने बीच में साम्यता, और

(घ) लोगों की भागीदारी और संलग्नता।

1.2 उद्देश्य

केन्द्र सरकार के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) समुद्र तटीय और अन्तर्देशीय जल और उन पर पड़ने वाले मानवीय प्रभावों के महत्व के बारे में पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना,

(ख) सामुद्रिक पारिस्थितिकीय प्रणाली की सुरक्षा,

(ग) जलीय और समुद्र तटीय जीवन के तत्वों की कमी की भरपाई की अनुमति देना,

(घ) समुद्रीय संसाधनों का दोहन को इस हद तक कम करना कि वह प्रतिपालनीय पारिस्थितिकी की सीमाओं के भीतर हो।

(ङ) मत्स्य प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा करना,

(च) शहरी और कृषि स्रोतों के अनावश्यक विस्तार से होने वाले प्रदूषण सहित समुद्रीय और अन्य जलीय प्रदूषण को कम करना,

(छ) समुद्रीय, तटीय और जलीय संसाधनों के

प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना,

(ज) प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना।

(झ) समुद्र तटीय प्रबंधन नीतियों के स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय समन्वयन में सुधार करना।

(ञ) उन गतिविधियों का पता लगाना जो समुद्र पर निर्भर नहीं हैं और समुद्र तट से दूर हैं, और

(ट) शहरी और पर्यटन विकास को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन नीतियों का विकास।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए कार्य करेगी।

(क) वर्ष 2025 तक भारतीय समुद्र में सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रा के बारे में व्यापक राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना,

(ख) विद्‌यमान मत्स्य दोहन की अधिक मात्रा को तत्काल रोकने के लिए कार्य करना तथा पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता की तात्कालिक आवश्यकता निर्धारित करना। तदनुसार प्रतिपालनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्थ करना।

(ग) राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों और/या सीधे स्थानीय सरकार के साथ मिलकर 2020 तक समुद्री क्षेत्र के पर्यावरणीय जांच को पूरा करने और कार्य योजना को 2025 तक तैयार करने के लिए काम करना।

(घ) नये उपसंभागों को निर्माण पर रोक सहित तटीय क्षेत्रा में भूमि प्रयोग और विकास को नियंत्रित करने के लिए समुद्र तटीय कार्य योजना के पूरा होने तक राष्ट्रीय कानून/आयोजना को क्रियान्वित करना।

(ङ) समुद्र तटीय क्षेत्र और अन्तर्देशीय नदियों में सभी नये रेत खनन कार्य पर रोक लगाना।

जल संसाधन एवं प्रबन्धन नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार की जल-नीति निम्न पर आधारित है:

(क) जल के प्रबंधन पर सम्पूर्ण आवाह दृष्टिकोण अपनाना।

(ख) जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता बनाये रखना।

(ग) यह मानना कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा की शुरूआत से भारत में जल आपूर्ति पुनर्संरचना में सामाजिक और पर्यावरणीय लेखा-जोखा और उत्तरदायित्व को भारी नुकसान होने की संभावना है।

(घ) सभी जल प्रयोक्ताओं के बीच जल का समान आंबटन।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार के निम्न उद्देश्य हैं:

(क) जल के प्रयोग की कार्य कुशलता को बढ़ाते हुए ताजे पानी की प्रति व्यक्ति खपत कम करना और जल के पुनर्प्रयोग के अवसरों को बढ़ाना।

(ख) जलीय प्रणाली में मल-व्ययन को गिराने से रोकना,

(ग) मौजूदा स्थिति में स्रोत पर प्रदूषण कम करने, और जहरीले रसायनो को सीवर प्रणाली में पहुँचने को चरणबद्ध तरीके से कम करने के जरिये जल-मल उप उत्पादों के पुनरोपयोग की क्षमता को बढ़ाना।

(घ) भूतल जलीय प्रणालियों से मानव के उपयोग के लिये निकाले गये जल की मात्रा में वृद्धि नहीं होने देना और सभी नदी प्रणालियों और उन पर आश्रित प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रवाह को बनाये रखना।

(ङ) भूमिगत जल प्रणालियों से उतना ही जल लेना जितनी कि भरपाई होती रहती है।

(च) मानव खपत के लिए साफ पानी की पर्याप्त आपूर्ति तक सभी की समान पहुँच को सुनिश्चित करना।

(छ) जल नाली और सीवर सेवाओं की व्यवस्था पर कम खर्च का सिद्धान्त अपनाना।

(ज) जल प्रवाह, नम-भूमि और नदी मुहानों पर कटाव, मिट्टी जमने और प्रदूषण को कम करना। यह कार्य प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखकर और पुनः बहाल कर तथा आवाह प्रबंधन में सुधार लाकर किया जा सकता है।

(झ) सभी प्रमुख जल प्रदाय, वितरण नालियों और व्ययन प्रणालियों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण कायम करना।

(ञ) ऐसे जल प्रदाय और आवाह क्षेत्रों को बनाये रखना और जहां संभव हो उनमें वृद्धि करना जो जलावरोध, कृषि और अन्य भूमि प्रयोगों से मुक्त हों तथा जिनसे जल की गुणवत्ता निम्न न होती है।

(ट) जल, नाली और सीवर व्यवस्था के बारे में निर्णय लेने में लोगों को पूरा भागीदार बनाना, और

(ठ) घरेलू व कृषि उपयोग के लिए जल संरक्षण तरीके अपनाने के वास्ते ग्रामीण लोगों को सूचना और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के जरिये उन्हें प्रोत्साहित करना।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) सभी नदी प्रणालियों के पर्यावरणीय बहाव को बहाल करने के लिए वृहद् नये राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना करना, और जल की गुणवत्ता में सुधार करना तथा इस कार्यक्रम को केन्द्र, राज्य/स्थानीय सरकारों के बीच राष्ट्रीय सहमति के द्वारा लागू करना।

(ख) प्रमुख जल आपूर्ति, वितरण व्यवस्था और व्ययन प्रणालियों के लोक स्वामित्व को बनाये रखने के लिए सभी उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करना।

(ग) बड़े पैमाने के नये बांध बनाने की सभी योजनाओं को रद्द करना, और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करना कि पेय जल की आपूर्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्डों को पूरा करती है या उनसे अधिक है और जल की गुणवत्ता के बारे में सार्वजनिक रूप से नियमित जानकारी मिलती है।

ऊर्जा विकास एवं संरक्षण नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार की ऊर्जा नीति निम्नलिखित पर आधारित हैः

(क) ऊर्जा की कीमत में उत्पादन और प्रयोग के पूर्ण सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मूल्य का समावेश होना चाहिए।

(ख) ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध नवीनीकरण संसाधन की सीमा है।

(ग) ऊर्जा उत्पादन की सामान्य प्रयुक्त पद्धतियों के भी हानिकारक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ते हैं, खासतौर से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन से।

(घ) ऊर्जा समस्याओं को अतिरिक्त पारंपरिक शक्ति उत्पादन क्षमता द्वारा हल नहीं किया जा सकेगा,

(ङ) पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय ऊर्जा प्रणालियों को दीर्घ अवधि आयोजना, अनुसंधान, विकास, मांग प्रबंधन, ऊर्जा कार्यक्षमता बढ़ाकर और सरंक्षण और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर आश्रित होकर अपनाया जा सकता है।

(च) जल विद्युत योजना के लिए बड़े पैमाने के बांधों के पर्यावरणीय प्रभावों और नाभकीय ऊर्जा से जुड़े मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के मसलों को गंभीरता से देखते हुए हम नहीं मानते कि दीर्घावधि के आधार पर ये प्रणालियाँ पर्यावरण प्रतिपालनीयता की दृष्टि से व्यहार्य हैं।

(छ) ऊर्जा के उत्पादन और प्रयोग में प्रतिपालनीयता प्राप्त करने से आर्थिक व्यवस्था के हर क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(क) ग्रीन हाऊस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियों के निर्धारण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाना।

(ख) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और अन्य रूप से मदद देने के जरिये अन्य देशों की सहायता करना ताकि वे ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

(ग) सभी गैर परिवहनीय ऊर्जा सेवाओं की उपलब्धता के लिए समेकित संसाधन आयोजना के सिद्धान्त को लागू करना। समाज को न्यूनतम दर पर ऊर्जा सेवाऐं उपलब्ध कराने का यही क्रमबद्ध रास्ता है।

(घ) प्रतिपालनीय ऊर्जा सेवा उपलब्ध कराने के आयोजन और नीतियों के अमल में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ङ) गैर नवीनीकरण योग्य जीवाश्य ईंधन के सुरक्षित भंडार के प्रयोग पर रोक लगाना ताकि भावी पीढ़ी को इसकी यथेष्ट आपूर्ति उपलब्ध रहे।

(च) जीवाश्म ईंधन पर निम्नलिखित द्वारा निर्भरता कम करना।

(1) कोयला और तेल जैसे ज्वलनशील ऊर्जा केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का समर्थन करना और नवीनीकरण योग्य विकल्पों का विकास करना,

(2) निजी मोटर परिवहन पर निर्भरता कम करना, और

(3) ऊर्जा कार्य-कुशलता को बढ़ाना।

(छ) ऊर्जा उत्पादन और प्रयोग के प्रतिपालनीय पारिस्थितिकीय स्वरूपों में परिवर्तन करने वाले क्षेत्रीय प्रभावों का पता लगाना। यह कार्य प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और दीर्घ अवधि योजना के द्वारा किया जा सकता है। कुछ वे क्षेत्रा जो फिलहाल जीवाश्म ईंधन को निकालने तथा ऊर्जा उत्पादन और उसके रखरखाव के लिए जीवाश्म ईंधनों पर अधिक निर्भर करते हैं इस परिवर्तन की वजह से रोजगारों का नुकसान उठायेंगे।

(ज) ऊर्जा उत्पादन, वितरण व आपूर्ति के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय नियम बनाना जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को लोकहित में नियंत्रित करने और सम्पूर्ण समुदाय से परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए समेकित संसाधन योजना लागू की गई है।

(झ) वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देना।

(ञ) व्यापक कार्बन उपकर शुरू करना। इस उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक परिवहन और वैकल्पिक ऊर्जा और तापीय शक्ति फोटोवोल्टिक और पवन शक्ति तकनीकों के विकास पर किया जायेगा। कम आमदनी वाले लोगों पर इस उपकर के किसी दुष्कर प्रभाव के लिए प्रतिकार की भी व्यवस्था होगी।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए कार्य करेगी:

(क) कार्बन उपकर को शुरू करना।

(ख) बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति ढांचे के पूर्ण उपयोग के लिए उपलब्ध सभी तरीकों को अपनाना।

(ग) लोकहित और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए विद्युत आपूर्ति उद्योग पर लागू किये जाने कड़े नियमों का कठोरता से पालन करना।

(घ) कार्बन डाइआक्साइड और अन्य ग्रीन हाऊस गैसों के विसर्जन को कम करना, और स्पष्ट राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय ऊर्जा नीति को अपनाना ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ङ) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि का समर्थन करना जो इन लक्ष्यों को सभी औद्योगिक देशों के लिए अनिवार्य बनाये।

(च) जलवायु परिवर्तन नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना।

(छ) अनुसंधान, विकास, ऊर्जा कार्य-कुशलता तथा भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग के बारे में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिपालनीय ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना करना।

(ज) ऊर्जा लेबलिंग को आवश्यक बनाना। सभी वाणिज्यिक और घरेलू सामान, उपकरण और इमारतों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों को आवश्यक रूप से अपनाना।

(झ) कोयले की शक्ति से चलाने वाले किसी भी नए केन्द्र और बड़े पैमाने पर जलीय विद्युत बांधों के निर्माण का विरोध करना।
(ञ) ग्रामीण जनता को घरेलू तथा कृषि बिजली की आपूर्ति के लिए नवीनीकरण योग्य ऊर्जा प्रणाली को अपनाने के लिए उत्साहित करने के लिए सूचना तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

अपशिष्ट प्रबन्धन नीति

1.1 सिद्धान्त

अपशिष्ट प्रवंधन की समस्या बढ़ती जा रही है। कूड़े के ढेर सौन्दर्यपरक, सामाजिक और पर्यावरण की समस्या है और यह ऊर्जा संसाधनों के अकुशल उपयोग का द्योतक है। पुनर्प्रयोग प्रौद्योगिकी तथा पुनर्पयोग की सामग्री की बिक्री से प्राप्त लाभ बढ़ रहे हैं। इसे प्रोत्साहित करना होगा। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण और उपभोक्ता स्तरों पर अपशिष्टों का उत्पादन न करना, उन्हें कम करना तथा उनके उत्पादन और खपत के चक्र के प्रत्येक स्तरों पर अपशिष्टों को कम करने की रणनीति का विकास होना चाहिए। जहाँ तक इस रणनीति के कार्यान्वयन का प्रश्न है सरकार अभी तक की नीति अपर्याप्त साबित हुई है, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में। केन्द्र सरकार कानूनी उपाय और आर्थिक प्रोत्साहन से उपशिष्ट कम करने को बढ़ावा देने का विचार रखती है।

1.2 लक्ष्य

अपशिष्ट की निकासी के लिए उन्हें जमीन के अन्तर्गत गाड़ने से होने वाले नुकसानों से लोग भलीभांति परिचित हैं। इससे विविध संसाधनों के नुकसान के साथ-साथ जल प्रदूषण, दुर्गंध और कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं। केन्द्र सरकार ऐसे उपायों का समर्थन करती है जो इनमें सुधार लाते हैं। हम उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ -

(क) व्यक्ति पुनः प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं के प्रयोग के महत्व को समझता है और उनका उपयोग करता है, वह उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करता जिनके कचरे को भूमि में गाड़ना पड़ता है जबकि उसके पास पहला विकल्प मौजूद है,
(ख) जहां विनिर्माता संसाधन प्रबंधन के लिए सम्पूर्ण जीवन क्रम को लेकर बढ़ता है और अन्ततः छोटी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है,
(ग) चक्रीय कंटेनरों तथा प्लास्टिक के अन्य सामानों पर थोड़े दिनों के लिए उपकर लगाता है जिससे आगे चलकर इन वस्तुओं का उपयोग बंद हो जाता है,
(घ) जिन सामग्रियों का पुनर्चक्रण किया जा सके उन्हें और नई चीजों को बनाने में उनका वास्तव में प्रयोग किया जाता है, और
(ङ) विभागों, कार्यालयों और निजी नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है तकि पुनर्चक्रित सामग्री का प्रयोग किया जा सके, और उनके प्रयोग के विरूद्ध अप्रोत्साहन की जांच की जा सके।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

1.3.1 पुनः उपयोग न की जाने वाल वस्तुएँ केन्द्र सरकार पुनः उपयोग में न आ सकने वाले प्लास्टिक के प्रचलन को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगी। इसके लिए वह उपकर लगाने सहित अन्य उपायों पर अमल करेगी।

1.3.2 कंटेनरों के पुनर्प्रयोग को प्रोत्साहन देना

केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) शीशे के कंटेनरों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर जमा करने के कानून का प्रस्ताव करना।
(ख) दुकानों में प्रयोग के बाद फेंक दिये जाने वाले प्लास्टिक के थैले का दुकानों पर प्रयोग पर उपकर लगाने का प्रस्ताव करना। यह उपकर ग्राहक द्वारा अदा किया जायेगा ताकि उसे ऐसे थैलों को खरीदने के लिए हतोत्साहित किया जा सके, और पुनः उपयोग की जा सकने वाली सामग्री से बने थैलों के लिए उसे उत्साहित किया जा सके।

1.3.3 सामग्री के पुनः उपयोग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना
केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगीः
(क) सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह अपनी मंजूरी उन्हीं खरीद की संविदाओं को देगी जो पुनर्प्रयोग सामग्री से बने उत्पादों की खरीद के लिये हों अथवा ऐसे उत्पादों के लिए हों जिनकी सामग्री का पुनः उपयोग हो सकता हो, उदारहरणार्थ पुनः उपयोग से बना कागज और कम्प्यूटर मुद्रण के कार्टरीज़ के पुनर्भरण वह कम ऊर्जा खर्च कराने वाले उन उत्पादों के खरीद का बढ़ावा देगी जैसे - ऊर्जा बचाने की विशेषता रखने वाले औजार।
(ख) सरकारी विभागों और दूसरे बड़े कागज़ों के उपयोगकर्ताओं के लिए बेकार कागजों का पुन प्रयोग को अनिवार्य करना।
(ग) पुनः प्रयोग के लिए एकत्रा की गई सामग्री के बारे में जानकारी रखना ताकि उनका सचमुच में ही दुबारा उपयोग हो, यह सुनिश्चित किया जा सके।
(घ) दूधिया ट्यूबों और नान रिचाजेर्बल बैटरी में लगे भारी धातुओं को इकट्ठा करने के लिए विशेष सुविधाओं का प्रस्ताव करना,
(ङ) नान रिचाजेर्बल बैटरी पर उपकर लगाना ताकि चार्जेबल बैटरी की कीमत घटायी जा सके और
(च) टायर को पुनःउपयोग में लाने की सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव करना।

1.3.4 वानस्पतिक खाद तैयार करना केन्द्र सरकार निम्नलिखित के लिए कार्य करेगीः
(क) घरेलू वानस्पतिक खाद को प्रोत्साहित करेगी।
(ख) वानस्पतिक टोकरियों के उपयोग को बढ़ावा देना जिनके द्वारा कचरों का इकठ्टा किया जा सके तथा दूरस्थ स्थलों तक ले जाने में उनका उपयोग हो सके। इसके लिए हम स्थानीय शासन की सुविधाओं को अपना समर्थन देंगे।
(ग) वानस्पतिक खाद के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले कारणों की समीक्षा करेगी।

1.3.5 हानिकारक चीजों का निपटान

केन्द्र सरकार निम्नलिखिति कार्य करेगीः

(क) उन सभी चीजों को एकत्रित करने तथा जहाँ संभव हो उनके पुनर्चक्रण के प्रयास को समर्थन देना जिनसे जीव-जन्तुओं, जल तथा वनस्पति को नुकसान होता है।

(ख) राष्ट्रीय अपशिष्ट और प्रदूषण सूची की स्थापना एवं आवश्यक कानून बनाना जिनके अन्तर्गत कम्पनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे हवा, मिट्टी और जल में छोड़े गये विषैले अपशिष्टों के बारे में जानकारी दें कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे छोड़ा गया। सांख्यिकी आधार तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, और

(ग) उद्योगों को विषैले अपशिष्टों के उन्मूलन की ओर काम करने के लिए कहना।

कृषि विकास नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार की भूमि प्रबंध और कृषि संबंधी नीति निम्न पर आधारित हैं:

(क) पर्यावरणीय और आर्थिक कारणों से कृषि में लचीलापन और विविधता की आवश्यकता को मान्यता,

(ख) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय कृषि उत्पादन की केन्द्रीय भूमिका को मान्यता,

(ग) मृदा और पानी की गुणवत्ता और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करना या उनकी रोकथाम करना।

(घ) खाद्य उत्पादक भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक दायित्वों को मान्यता।

(ङ) ऐसी व्यापार पद्धति और स्थानीय नियंत्रण का समर्थन करना जिससे पर्यावरणीय और खाद्य गुणवत्ता मानदण्ड को बनाने और सुधारने को मदद मिल सके।

(च) कृषि में उपयोगी पशुओं के कल्याण के लिये कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार का निम्न उद्देश्य है:

(क) भागीदारी प्रक्रियाओं को समुन्नत करना ताकि भूमि और जल आवाह प्रबंधन में सुधार हो सके।

(ख) सुनिश्चित करना कि वित्तीय व्यहार्यता श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा न दे।

(ग) सुनिश्चित करना कि जल प्रबंधन की आवश्यकता को खेती का एक आवश्यक संसाधन माना जाये जैसे दूसरों के लिए यह अनिवार्य संसाधन है।

(घ) उन प्राथमिक उत्पादन और ग्रामीण भूमि उपयोग के रूपों का बढ़ावा दनो जिनसे मृदा और जल के संरक्षण तथा जैव विविधता बनाने में मदद मिले और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा, कृषि रसायन और जल के न्यूनतम उपयोग की आवश्यकता पड़े। मूल्य-वर्द्ध और गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद के विकास को बढ़ावा देना।

(ङ) विविधतापूर्ण और लचीली कृषि प्रणालियों, उपक्रमों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।

(च) भूमि अपक्षय (कटाव, अम्लीयता, क्षारीयता पोषकताहीनता, भूमि संरचना में

कमी, प्राकृतिक वनस्पति समाप्त करने) की नीतियों को अमल में लाना और सुनिश्चित करना कि भूप्रबंध पद्धति अपक्षयित पारिस्थितिकी के सुधार और पर्यावास कार्यक्रम के अनुरूप हो।

(छ) रसायनों पर कृषि को निर्भरता को कम करना और किसानों और उपभोक्ताओं को उनके बारे में सही सूचना प्रदान करना।

(ज) सुनिश्चित करना कि अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के उपयोग पर कड़ाई से नियंत्राण किया जाये विशेष रूप से प्रस्तावक पर प्रमाण के दायित्व के साथ अनुवांशिकी सामग्री के बीच प्रजातियों का हस्तानांतरण रोकना।

(झ) अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित खाद्य सामग्री पर तद्नुसार लेबल लगाना

(ञ) कृषि में उपयोगी पशुओं के कल्याण में सुधार करना।

(ट) सुनिश्चित करना कि प्रतिपालनीय भूमि प्रबंधन का दायित्व व्यापारी वर्ग, जो कृषि उत्पादनों का परिष्करण तथा बिक्री करता है अथवा संसाधनों की आपूर्ति करता है, उपभोक्ता, भूमिधारक और सरकार के सभी स्तर के कर्मचारी मिलकर उठाते हैं।

(ठ) ऐसी प्रणालियों को बढ़ावा देना जिनसे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विभिन्न कार्यशील व ग्रामीण समुदायों को मदद मिलती है।

(ड) ग्रामीण कम्पनियों को जीवन्त बनाना और भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिये समुचित सेवाओं को सुनिश्चित करना।

(ढ) पारिस्थितिकीय आधार पर प्रतिपालनीय कृषि उत्पादन की आयोजना और कार्यान्वयन नीतियों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ण) भूमि प्रबंध कौशल के आदान-प्रदान के लिए पारम्परिक और आधुनिक किसानों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देना।

(त) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आयोजन और क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करना।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार कृषि व्यवसाय के एक नियमित वातावरण को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्रीय कानून के पूरक के रूप में वह राज्य और/या स्थानीय स्तर के कानूनी प्रावधानों की भी व्यवस्था करेगी। निम्न क्षेत्रों को नियमित किया जायेगाः

(1) स्थानीय वनस्पति की सफाई, प्रबंधन एवं बचाव,

(2) देशी पौधों और जानवरों के आयात संवर्द्धन और प्रचलन, और

(3) पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन सहित सभी अनुवांशिकी इंजीनियरिंग प्रस्तावों की अनिवार्य अधिसूचना, आंकलन और अनुश्रवण।

केन्द्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगीः

(क) देसी रसायनों के उपयोग और लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड को अमल में लाना। विशेष रसायनों के लिये ऐसे मानदण्ड

विश्व में लागू मापदण्डों के अनुरूप अथवा बेहतर होने चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने योग्य कानूनों को लागू करना तथा उनसे यह सुनिश्चित करना कि प्रचालन के नियमों द्वारा कृषि में उपयोग होने वाले पशुओं की अपनी प्राकृतिक आचारिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(ग) पारिस्थितिकी रूप से प्रतिपालनीय भूमि प्रबंध के लिए सीधी आर्थिक सहायता तथा अन्य तरीके की आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना।

(घ) पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय कृषि पद्धति अपनाने के लिए रासायनिक उवर्रकों और कीटनाशी रसायनों के लिए कर संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव करना। इन उत्पादों पर लगने वाले उपकर को शिक्षा, सूचना, समन्वित व गैर रासायनिक कीट प्रबंधन और प्रतिपालनीय कृषि पद्धति जैसे दूसरे उचित कार्यक्रमों के जरिये किसानों में वितरित करना।

(ङ) चालू कृषि सहायता और ग्रामीण भूमि-प्रबंध कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का प्रणालीगत और नियमित समीक्षा करना।

(च) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से धन में वृद्धि करना जिससे पर्यावरणीय खरपतवारों और पर्यावरण के अनुकूल और मानवीय तरीकों से वन्य पशुओं का नियंत्राण हो।

(छ) राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भूमि के अपक्षरण और जैविक विविधता पर निगरानी।

(ज) भूमि पद्धति और उनकी स्थिति का व्यापक और समरूप राष्ट्रीय मापचित्राण करना ताकि प्रतिपालनीय भूमि प्रबंध के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार की जा सके।

(झ) शुष्क-भूमि चारागाही उद्योग की व्यापक समीक्षा और पुनर्संरचना को सुनिश्चित करना।

(ञ) कृषि पद्धति के बारे में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण देना। इसमें जैविक कीट नियंत्राण के प्रभावी तरीकें भी शामिल हैं जिससे रसायनों के उपयोग अैर दुष्प्रभाव में कमी आती है।

(ट) पर्यावरण विभाग को भूमि सुरक्षा का उत्तरदायित्व तत्काल हस्तान्तरित करना।

(ठ) पारिस्थतिकी की दृष्टि से कृषि के लिए अनुपयुक्त अथवा पारिस्थितिकी के लिहाज से बहुमूल्य भूमि पर कृषि-कार्य बंद करने के लिए कार्य-योजना कार्यान्वित करना।

औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता नीति

1.1. सिद्धान्त

केन्द्र सरकार का विश्वास है कि -

(क) बढ़ती जनसंख्या की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकसित उत्पाद और प्रक्रियाओं की समस्या का तत्काल विश्वस्तरीय रचनात्मक समाधान भारत को पाना है जबकि साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को बनाये रखना है जिस पर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक कल्याण अन्ततः आश्रित हैं।

(ख) पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार को स्पष्ट वैधानिक राष्ट्रीय ढांचों को तैयार

करना चाहिए और तदनुसार बड़ी और दीर्घ-अवधि की प्रतिपालनीय एवं पारिस्थितिकीय परियोजनाओं के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन को समायोजित किया जाना चाहिए।

(ग) व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में कठोर नियमन सहायता कर सकते हैं।

(घ) पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय उद्योग की स्थापना से होने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को दूर करने तथा नये अवसरों के सृजन में सरकार को सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए।

(ङ) कीमती और प्रायः गैरप्रभावकारी साफ-सफाई की बजाय सही उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास जो स्रोतों पर समस्याओं में कमी लायेगी को अपनाना ज्यादा श्रेयष्कर है।

(च) उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाकर और उसके आधार पर कार्य कर उद्योग प्रतिपालनीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

(छ) कच्चे मालों की खपत घटाने और प्रदूषण को कम करने के हरित उद्देश्य को अपनाकर ही उद्योग अधिक कार्य-कुशल और प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है।

(ज) सभी स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण पर निवेश और विश्व के सर्वोत्कृष्ट मानदण्डों अनुसार देश में अनुसंधान सुविधाओं के विकास से ही अधिक कार्यकुशल, मूल्य-अधिकरण और नवीन हरित उद्योग के लिए आवश्यक मानवीय और बौद्धिक पूंजी प्राप्त हो सकती है।

(झ) पर्यावरण पर औद्योगिक क्रियाकलापों के प्रभाव से संबंधित निर्णय जटिल हैं और इनका समर्थन सटीक, विस्तृत और समय पर उपलब्ध आंकड़ों द्वारा ही होना चाहिए।

1.2 केन्द्र सरकार के निम्न उद्देश्य हैं:

(क) कर में रियायत, सरकारी छूट और अन्य उन सभी सरकारी नीतियों को समाप्त करना, जो संसाधनों के अपव्यय, प्रदूषण और पर्यावरणीय अपक्षय को बढ़ावा देती हैं ।

(ख) प्रौद्योगिकी या पूंजी जो संसाधन उपयोग, अवशिष्ट और प्रदूषण को कम करती है में निवेश करने वाले उद्योग को मूल्य ह्रास भत्ते में वृद्धि, कर में छूट तथा कर में कटौती जैसे सकारात्मक प्रोत्साहन देना।

(ग) ऊर्जा, जल और भूमि भराव के लिए मूल्य समायोजन का समर्थन करना जो सामाजिक स्वास्थ्य और उत्पादन के पर्यावरणीय लागत और उपयोग को समान रूप से समाहित करता है।

(घ) पर्यावरणीय लेखा और प्रबंधन के सर्वोत्तम नियमों की उपयोगी वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों, सरकारी उपक्रमों तथा निजी क्षेत्रा के उद्योगों में लागू करना।

(ङ) प्रबंध से बातचीत के दौरान कर्मचारी संघ द्वारा पर्यावरण सुधार कार्यक्रम को समर्थन देना ताकि कार्य स्थल में सभी कर्मचारी पर्यावरणीय कार्य निष्पादन में भाग ले सकें तथा उनसे लाभान्वित हो सकें।

(च) संसाधन प्रबंधन के बारे में सम्पूर्ण जीवन चक्रण दृष्टिकोण अपनाने और

अन्ततः क्लोज्ड लूप उत्पादन की ओर निर्माताओं को दबाव डालकर ले जाना।

(छ) औद्योगिक उप-उत्पादों में कमी, बिक्री तथा उगाही के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी निभाने के लिए उद्योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना जिससे बाह्य अपशिष्टों का उपचार आखिरी तरीका ही रह जाये।

(ज) राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाले को कीमत चुकानी पड़ेगी के सिद्धान्त की व्यवस्था हो।

(झ) पहुंच योग्य, प्रयोगात्मक और तुलनात्मक सूचना प्रदान करके उपभोक्ताओं को सामनों और सेवाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के काबिल बनाना। इस मूल्यांकन में जीवन-चक्र का मूल्यांकन भी शामिल है। इसमें हरित उत्पादों को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लेबलिंग योजना को अधिक सक्षम करना भी शामिल है।

(ञ) इस प्रकार परिभाषित हरित उत्पादों की खरीद को सरकार द्वारा संस्था स्तर पर बढ़ावा देना।

(ट) अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता देना ताकि पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय विकास को प्राप्त करना सरल हो। इस विकास प्रक्रिया में ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी और पुनःनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पर जोर दिया जायेगा।

(ठ) जैव विविधता और पारिस्थितिकीय अखण्डता के खतरे और उद्योग विशेष अथवा औद्योगिक प्रक्रिया के सम्बन्धों के बारे में अनुसंधान को आर्थिक अनुदान देना।

(ड) विषैली वस्तुओं और सड़ने योग्य अपशिष्टों को भूमि भराव वाले स्थलों पर ले जाने को चरणबद्ध तरीके समाप्त करना।

(ढ़) लेखा सूचना और कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में पर्यावरणीय निष्पादन रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना। सामानों और सेवाओं पर पर्यावरणीय लेबलों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसमें संसाधनों में आने वाली कमी, उत्सर्जन और अपशिष्ट के बारे में सूचना शामिल होगी। सरकार के सभी विभागों द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से माँगी गयी निविदाओं में पर्यावरण निष्पादन और पर्यावरण आँकड़ा लेबलिंग की सूचना देना अनिवार्य किया जायेगा।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार निम्न कार्य करेगी:

(क) अधिवर्षिता निवेश निर्देशित और राष्ट्रीय उद्योग पूंजीगत भागीदारी से प्राप्त धन के जरिये पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय राष्ट्रीय उद्योग सहायता कार्यक्रम बनाना।

(ख) प्रतिपालनीय उद्योग योजना की घोषणा जिसमें निदेशों की व्यवस्था, लक्ष्य, बेंचमार्क, समयबद्धता और कोष के बारे में स्पष्ट जिक्र होगा।

(ग) हवा और पानी गुणवत्ता सहित जलमार्गों के लिये समान राष्ट्रीय वैधानिक पर्यावरणीय मानदण्ड की स्थापना करना।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना जिसके जरिये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों का स्पष्टीकरण और कार्यान्वयन संभव हो सके।

(ङ) समुचित निधि व्यवस्था के साथ विनाशकारी और असाध्य अपशिष्टों के परिष्करण के लिये राष्ट्रीय रणनीति का कार्यान्वयन करना।
(च) एक राष्ट्रीय अपशिष्ट एवं प्रदूषण सूची तथा कानून बनाना जिसके तहत कम्पनियों के लिए यह लाजिम हो कि उनके द्वारा कब कहाँ और कैसे मिट्टी या जल में विषैले पदार्थ छोड़ गये के बारे में वे विस्तृत रिपार्ट दें। इस फेहरिस्त में हस्तान्तरण के आँकड़े (अर्थात् मल और अवशिष्ट आदि का उत्सर्जन) लोगों को सहज उपलब्ध होगा।

जनसंख्या शिक्षण एवं स्थिरता नीति

1.1 सिद्धान्त
न तो पृथ्वी न कोई देश ही मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि को सहन कर सकता है। यदि वर्तमान दर पर जनसंख्या बढ़ती रहे तो सारे लोगों की बसने के लिए चार पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। लोगों और पर्यावरण के बीच के संबंध जटिल हैं । यह मात्रा जनसंख्या को सहन कर सकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकीय विचारों का भी हाथ है। जनसंख्या नीति पर, जो मानव अधिकारों का सम्मान करती है, भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों के समूहों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

भारत की घरेलू और भूमंडलीय जनसंख्या नीति प्रतिपालनीयता, अंतर-पीढ़ी साम्यता और सामाजिक न्याय पर आधारित होगी। पर्यावरण पर मानव प्रभावों के परिणाम के बारे में एक सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रतिपालनीय जनसंखा प्राप्त करने के लिए खपत प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा जनसंख्या के आकार के स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करना चाहिए तथा उन प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा जो कि पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक है, पर आधारित हों।

खपत की वर्तमान पद्धति विश्व स्तर पर और उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर पर्यावरण समस्या के उत्पन्न होने में योगदान करती है। वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रति हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम जान-बूझ कर उनकी दुनिया का अपक्षय न करें। भारतीय रूप में भी गैर मानवीय प्रजातियों के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है जिनमें से बहुत सी पहले ही समाप्त हो गयी हैं अथवा जो संकट में हैं। सरकार की नीतियां और कर प्रणाली वह साधन है जिसका उपयोग मध्य या लम्बी अवधि के दौरान खपत पद्धति में परिवर्तन तथा पारिस्थितिकी पद्धति जिस पर मानवीय क्रियाकलापों का असर पड़ता है, के सरंक्षण में किया जा सकता है। भारत को विश्व स्तर पर प्रतिपालनीय जनसंख्या को प्राप्त करने में योगदान करना चाहिये। हमें निम्न द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए:
(क) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अधिक साम्यतापूर्ण

खपत पद्धति के अनुसार उपनी स्वयं की जनसंख्या वृद्धि का प्रबंध, और
(ख) गरीबी उन्मूलन तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम पर आर्थिक मदद की राशि खर्च करना। प्रतिपालनीय जनसंख्या का स्तर प्राप्त करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के बजाय साम्यता और मानव-अधिकारों पर आधारित सहकारी और क्षेत्राीय आत्म-निर्भर आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए।

1.2 लक्ष्य
राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के आकार के बजाय हमें जनसंख्या के क्षेत्राीय वितरण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रतिपालनीयता के प्रकाश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हो रहे पलायन पर विचार होना चाहिए और ऐसे लोगों को उन इलाकों में बसाना चाहिए जहाँ पारिस्थितिकीय स्थिति बेहतर हो।

क्षेत्र की पारिस्थितिकीय और सामाजिक व्यवर्हायता से विकास ज्यादा होगा। परन्तु उसकी आवश्यकता की पूर्ति लिए संरक्षण व्यवस्था और उपयुक्त योजना की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। मानव व्यवस्थापन की रूप-रेखा ऐसी होनी चाहिये जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनसंख्या का सामाजिक कल्याण होना चाहिए ताकि अधिकतम संभव स्तर पर सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध की जा सकें। सेवाओं में शिक्षण, ढांचागत संरचना, स्वास्थ्य, रोजगार और आय समर्थन शामिल होने चाहिए।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य
केन्द्र सरकार निम्नलिखित की ओर कार्य करेगी:
(क) भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रजनन और प्रसव सेवायें इस तरह की हों जिनसे लड़कियों और महिलाओं में अपने प्रजनन जीवन के बारे में निर्णय लेने की शक्ति बढ़े और मर्दों में अपनी प्रजनन क्षमता के बारे में सूझबूझ बढ़े।
(ख) परिवार नियोजन नीतियां और कार्यक्रमों के बारे में विपरण दृष्टिकोण अपनाई जाये।
(ग) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विविध समुदायों तक पहुंच के लिये परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्राण के बारे में एक नई संचार नीति बनाना।

संवैधानिक सुधार नीति

1.1 सिद्धान्त
केन्द्र सरकार को विश्वास करना चाहिए कि:
(क) संसद जन प्रतिनिधित्व और उत्तदायी सरकार की केन्द्रीय शक्ति है।
(ख) प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, सभी वोट का समान मूल्य होना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संसद और राज्य विधान सभाओं के संगठन में मतदाताओं की उत्कृष्ट इच्छा अभिव्यक्त होती है।

(ग) प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार और उत्तरदायित्व है कि वह सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग ले।

(घ) भारत के संविधान और जनतांत्रिक बोध और दीर्घ अवधि के परिप्रेक्ष्य में और पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता और सामाजिक न्याय युक्त समाज को बनाने में सहायता मिलनी चाहिए।

(ङ) भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढाँचा को समुदाय के रूप में और समुदाय के सदस्य के रूप में हमारी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए तथा हमारे व्यक्तिगत अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना चाहिए। इसे सरकार की शक्ति और उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना चाहिए।

(च) भारत के संविधान और सार्वजनिक संस्थाओं में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया द्‌वारा लायी जानी चाहिए।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार प्रस्ताव कर सकती है कि संविधान में अधिक स्पष्टता के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रतिस्थापित किया जाये,

(क) नागरिक और राजनैतिक मुद्दे।

(1) जीवन, आजादी और सुरक्षा।

(2) कानूनी मान्यता और समानता।

(3) मताधिकार, चुनाव में खड़ा होना।

(4) एकान्तता

(5) पुलिस हिरासत

कथित अभियुक्त से संबंधित।

अपराधिक प्रक्रिया का स्तर।

अपराध के शिकार से संबंधित।

सम्पत्ति

न्यायोचित प्रक्रिया।

शिशु से संबंधित।

(1) धर्म की आजादी ।

(2) विचार, बोध और आस्था की आजादी।

(3) बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी।

(4) संगठन की आजादी।

(5) शान्तिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी।

(6) आवाजाही, आवास, विकास की आजादी।

(7) भेदभाव से आजादी।

(8) गुलामी से आजादी।

(9) उत्पीड़न, प्रयोग और दुव्र्यवहार से आजादी।

(ख) आर्थिक और सामाजिक मुद्दे।

(1) शिक्षा।

(2) जीवन का समुचित स्तर, कार्य।

(3) कानूनी सहायता।

(4) परिवार संरचना की आजादी, और

(5) बच्चों की समुचित देखभाल।

(ग) सामुदायिक और सांस्कृतिक मुद्दे

(1) सुरक्षित समाज में रहना।

(2) सामूहिक और व्यक्तिगत विकास।

(3) संस्कृति।

(4) पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, और

(5) पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार को निम्नलिखित निर्णय लेने चाहिए:

(क) प्रतिपालनीय विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यरूप सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को संधियों के जरिये

अधिक स्पष्ट बनाया जायेगा। उदाहरणार्थ पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नियम प्रक्रिया।

(ख) सन्धियों के अनुसमर्थन के कारण भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के घरेलू कार्यान्वयन में क्षति के प्रयास का विरोध करना। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के घरेलू अनुसमर्थन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की तरफ कार्य करना।

(ग) युवा लोगों के वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व के बोध को स्वीकार करते हुए 16 वर्ष की आयु से मताधिकार और सार्वजनिक पद संभालने का अधिकार देना।

(घ) ऐसे नियमों को अमल में लाना जिससे भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक पदों से हटा दिये जाये और उन्हें पुनः कभी उन पदों पर न आने दिया जाये। उनके सेवाकाल के दौरान भ्रष्ट तरीकों से एकत्र धन जब्त कर लिया जाये। सेवा निवृति के बाद सरकार के पास जमा धन उन्हें न दिया जाये जिसका कि वे अन्यथा हकदार हों।

(ङ) संबंधित मुद्दों पर बेहतर ढंग से आम राय जानने के लिए समुचित और यथेष्ट विचार-विमर्श।

स्थानीय सरकार सुदृढ़ीकरण नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार विश्वास करती है यदि हम देश में सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं तो सरकार के स्वरूप में मूलभूत बदलाव जरूरी है। यदि सरकार हमारी, हमारे द्वारा और हमारे लिए है, तो इसकी शुरूआत स्थानीय स्तर से होनी चाहिए और इसी स्तर पर शक्ति निहित होनी चाहिए।

भारतीय सरकार की प्रणाली का पुनर्गठन के बाद उसका चाहे जो अन्तिम स्वरूप हो केन्द्र सरकार एक ऐसी स्थानीय सरकार की प्रणाली के संरक्षण को मान्यता और समर्थन करती है जो स्थानीय समुदाय की अपनी पहचान और आत्म-निर्णय के अधिकार को अभिव्यक्त करती है। हम विश्वास करते हैं कि सरकार की अधिकांश शक्तियाँ स्थानीय स्तर पर निहित होनी चाहिए। इससे मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलती है।

1.2 लक्ष्य

हालांकि हम स्थानीय स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, पर हम मानते हैं कि स्थानीय परिषदों को अनियंत्रित शक्ति देने से समस्यायें बढ़ जाती हैं, खासकार पर्यावरण की समस्यायें।

केन्द्र सरकार प्रस्ताव करती है:

(क) अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय गतिविधियाँ सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद और पर्यावरण की दृष्टि से हितकर हों केन्द्र सरकार हरित सिद्वान्तों पर आधारित आचार संहिता और अधिकार और उत्तरदायित्व विधेयक का समर्थन करती है।

(ख) अनुपातिक प्रतिनिधित्व संस्तुति के लिए स्थानीय सरकार की चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा।

(ग) स्थानीय सरकार के राजस्व के आधार की समीक्षा।

(घ) दूसरे स्तर के सरकारों के विभिन्न स्तरों और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

यह मानते हुए यदि हम भारत में सच्ची लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार प्राप्त करना चाहते हैं तो स्थानीय सरकार को व्यापक और अधिक स्वायत्तता की अपनी भूमिका पूरी जवाबदेही के साथ निभानी चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसा प्रस्ताव करती है:

(क) निर्णय लेने की उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए चुनी हुई स्थानीय सरकार को वित्तीय सहायता देना।

(ख) सरकार के दूसरे स्तरों पर स्थानीय सरकार की सांझेदारी।

(ग) पर्यावरणीय स्थिति के रिपोर्ट में पर्यावरण पर विकास के प्रभाव का आंकलन शामिल होना चाहिए।

(घ) जो लोग भ्रष्ट पाये जायें उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में कोई पद पाने के हक से वंचित कर दिये जाये तथा अपनी सेवा काल में उन्होंने जो पैसा सरकार के पास जमा किया हो वह उन्हें अदा न किया जाये तथा सेवा-निवृत्ति के समय मिलने वाले वित्तीय लाभों से भी उन्हें वंचित किया जाये जिसके लिए वो अन्यथा हकदार होंगे।

(ङ) स्थानीय परिषद यह सुनिश्चित करे कि सभी इमारतें, उपसंभाग और विकास कार्य प्रतिपालनीय पारिस्थितिकीय विकास के सिद्धान्तों के अनुरूप हों।

(च) सामुदायिक रेडियो, समाचार-पत्रों, और सूचना बोर्डों के जरिये समुदाय को नियमित समय सूचना मिलती रहनी चाहिए ताकि विभिन्न विचारों को समान अवसर मिले और स्थानीय सरकारों में भाग लेने के लिए समुदायों को उत्साहित किया जा सके।

(छ) सरकार के सभी विभाग नागरिकों को अपने अधिकारों से तथा वर्तमान चुनाव प्रणाली से भलीभाँति अवगत कराने के लिए तत्काल कदम उठाये।

(ज) ज्वलंत मुद्दों पर लोगों की राय को जानने के लिए उचित और यथेष्ट विचार-विमर्श होना चाहिए।

सरकार में सामुदायिक भागीदारी सम्बन्धी नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार को इन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना चाहिए:

(क) कानून और नीति बनाने में समुदाय की भागीदारी को न्याय संगत बनाना सरकार के सभी क्रियाकलापों का मौलिक सिद्धान्त होना चाहिए।

(ख) लोगों तथा समुदाय के विभिन्न सूमहों को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।

(ग) विविध समूहों का योगदान उपलब्ध सूचना में महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ती है।

(घ) समकालीन निर्णयों में भावी पीढ़ी की आवश्यकता को मान्यता होनी चाहिए।

(ङ) बिल्कुल सही स्तर पर निर्णय होना चाहिए। इनमें से कुछ में वे समूह भी शामिल होंगे जिन्हें अभी निर्णयों में भाग लेने का हक नहीं है। मसलन पड़ोस।

(च) नीतियां, योजनायें और ढांचागत प्रणाली का ऐसा विकास होना चाहिए जिससे नागरिक संरचना को सरकार के क्रियाकलापों में समुदाय भागीदारी को सुनिश्चित करना .संभव हो सके।

(छ) हाशिये पर रह रहे समूहों को सार्वजनिक निर्णय में प्रभावी ढंग से शरीक होने का अवसर देने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए लम्बे समय तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का लागू करने और उन्हें मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रस्तावों से आगे जाना होगा तथा सार्वजनिक मंच तकनीक का सहारा लेना होगा।

(ज) सामुदायिक विचार-विमर्श में भाग लेने को कार्य माना जाना चाहिए। सामुदायिक विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए सामुदायिक संगठनों की मदद की जानी चाहिए।

(झ) निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी एक चलती रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए न कि किसी एक समय की भागीदारी। एक समय की भागीदारी से निर्णयों की समीक्षा और नीतियों के बदलाव की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने से समुदाय वंचित रह जाता है।

(ञ) समुदाय के समूहों तथा व्युक्तियों की सूचना तक पहुँचने की योग्यता जो उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है।

(ट) सरकार के सभी विभाग ऐसा मार्गदर्शन बनायें और उनका पालन करें जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि वे जिन जन-प्रतिनिधियों से दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचार-विमर्श करते हैं वे लोगों के विचारों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.2 लक्ष्य

हमने निम्नलिखित लक्ष्यों की व्यवस्था की है:

(क) दीर्घ अवधि में, जब कभी संभव हो, निर्णय जैव क्षेत्रीय विचारों और सामाजिक विचार-विमर्श की पद्धति पर आधारित होनी चाहिए।

(ख) चूँकि हर आदमी का राजनीतिक जीवन में भाग लेना महत्वपूर्ण है, अतएव हम इन सिद्धान्तों के लिए कार्य करेंगे जिनके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा के लिए चुनाव में खड़े होने पर किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन की छुट्टी स्वतः मिल जानी चाहिए।

(ग) सेवाओं के उपभोक्ताओं को सामुदायिक सेवाओं और स्थानीय पर्यावरणीय नीति की जानकारी निकटतम सूत्रों द्वारा मिलनी चाहिए।

(घ) केन्द्रीय सरकार के घरेलू उत्तरदायित्व संसाधनों और सूचना का समान वितरण करना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के सेवाओं का समन्वयन करना तथा यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि पारिस्थितिकीय और सामाजिक रूप से प्रतिपालनीय नीतियों का पालन किया जाये।

(ङ) पड़ोस और छोटे-छोटे शहरों के स्तर के कम औपचारिक संगठनों, विशेष रूचियों और संगठनों की पहुँच सरकार के सभी स्तरों तक औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श और समीक्षा की प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार को निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए:

(क) सरकार के नये स्वरूप के बारे में भारत की जनसंख्या के सभी चुनाव क्षेत्रों के साथ व्यापक सूचना विनिमिय और परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

(ख) सरकार और उसके संस्थानों द्वारा नीति की समीक्षा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी तथा लोगों की पहुँच के भीतर होनी चाहिए।

(ग) जो जनसेवक और पत्रकार आदि समुदाय के लाभ के लिये संवदेनशील सूचनाओं को प्रकाशित करते हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, न कि उन्हें ऐसी सूचना देने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि सरकार की अमूक कार्रवाई की जानकारी जनता के हित में नहीं है।

(घ) व्यापक समुदाय अथवा इसके अन्तर्गत के चुनाव क्षेत्रा के दायरें में काम करने वाले तथा लोकतांत्रिक तरीके से संगठित समूह को समुचित संसाधन दिये जाने चाहिए ताकि वे अपने उत्तदायत्विों का पालन कर सकें।

(ङ) पर्याप्त समय होना चाहिए ताकि जो लोग इसमें हिस्सा लेने के इच्छुक हैं उन्हें ऐसा करने में मदद मिल सके।

(च) संगत दस्तावेज समुदाय के सभी सदस्यों के पहुंचने योग्य स्थानों पर उपलब्ध होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए दुकानों के आगे ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहिए।

(छ) समय-समय पर सार्वजनिक बैठकें सभी स्थानों पर होनी चाहिए ताकि प्रभावित लोग उसमें भाग ले सकें। बहुत से मामलों में बच्चों की देखभाल और परिवहन सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा और अपंग लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने होंगे ताकि सभी वर्ग के लोग सार्वजनिक बैठकों में आसानी से भाग ले सकें। अन्य मामलों में इस बात को तरजीह दी जानी चाहिए कि लोगों के घरों में उनसे बातचीत की जाये बजाय इसके कि कहीं बैठक तय कर ली जाये और लोगों से यह उम्मीद की जाये कि वे खुद-ब-खुद उसमें शरीक होंगे।

(ज) सूचना सरल, सुबोध होनी चाहिए। उसमें भारी-भरकम शब्दों का समावेश नहीं होना चाहिए।

(झ) मुक्त पहुंच वाली नागरिक सूचना और इंटरनेट की सुविधा का विकास होना चाहिए जिस तक लोगों की पहुँच और उनके प्रबंध में उनकी भागीदारी निःशुल्क हो।

(ञ) सामुदायिक विकास द्वारा वर्तमान समुदाय नेटवर्क की पहचान और उनका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए।

आर्थिक सूझबूझ नीति

1.1 सिद्धान्त

केन्द्र सरकार को हरित अर्थव्यवथा के चार पहलुओं के लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध है।

1.1.1 पारिस्थितिकीय अखण्डता

केन्द्र सरकार सभी जीवों के मूल्यों और उनके पारस्परिक सम्बन्धों को स्वीकार करती है। जैव विविधिता मानव कल्याण का एक आवश्यक अंग है जिससे उपयोगिता और अस्तित्व के मूल्य प्राप्त होते हैं। अतः जैव विविधता के मौलिक मूल्य पर बल देना चाहिए।

समाज में आर्थिक वृद्धि और संसाधनों के बढ़ते प्रयोग के बीच के पारम्परिक सम्बन्धों को विच्छेद करने की जरूरत है ताकि प्रकृति को होने वाली ऐसी क्षति जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, से उसे को बचाया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में लगातार हो रही कमी की गति मंद की जा सके। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के प्रभावों को पर्यावरणीय सीमाओं, विशेषरूप से अपशिष्ट को संसाधित करने की पारिस्थितिकीय प्रणाली की क्षमता के भीतर रखा जाना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं की अखण्डता को आर्थिक वृद्धि के संकीर्ण लक्ष्य का स्थान लेना चाहिए जैसा कि वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। पर्यावरणीय समस्याएं विश्व स्तर की है, इसलिए पारिस्थितकीय अखण्डता को बनाए रखने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य को अपनाने की जरूरत है।

1.1.2 साम्यता

सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि लोगों को अपनी योग्यता और संसाधनों के अनुपात में अपना योगदान करना चाहिए और समुदाय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को समाज में बलपूर्वक जीवन में उसकी जरूरतों से वंचित न किया जाए।

पर्यावरण को अस्थिर करने वाली गतिविधियों को रोकते समय, ऐसे लोगों को जीवनयापन से वंचित नहीं करना चाहिए जिनके पास जीने के पर्याप्त साधन नहीं है। यह उत्तरदायित्व स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी स्तर पर लागू होता है। वर्तमान पीढ़ी में समानता को सुनिश्चित करते हुए, हमे भावी पीढ़ियों के साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसमें देश के भीतर वंचित लोगों और अलाभकारी देशों तथा राष्ट्रों के साथ एकजुटता शामिल है। इसके अन्तर्गत भावी पीढ़ियों के साथ एकजुटता भी अपेक्षित है। प्रत्येक पीढ़ी के हाथ में सामाजिक और पर्यावरणीय सम्पदा मिलती है जिससे वह अपनी मानवीय जरूरतों को पूरा करती है व विकास के लिए अपने विकल्प का चयन करती है। चूंकि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की योग्यता पर मानव के क्रियाकलाप के विपरीत प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है इसलिए सावधानी अपनाए जाने के सिद्धान्त को निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण औजार समझना चाहिए।

1.3 सशक्तिकरण एवं चयन

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को व्यक्तियों और समुदायों को अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा करते समय एक व्यापक समुदाय की हैसियत से हममें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योग्यता होनी चाहिए।

केन्द्र सरकार यह भी मानती है कि बाजार व्यवस्था से समुचित और बुद्धिसंगत चुनाव के लिए कोई उपयुक्त युक्ति जिससे, दीर्घकालिक अपेक्षाएं पूरा होती हों नहीं मिल सकती है और न ही समान परिणाम मिल सकते हैं।

1.4.4 देखभाल और सहयोग

मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग और जीवन की समृद्धि की उपलब्धि समान लक्ष्य रखने वाले लोगों के मिलजुलकर रहने और काम करने से होती है। इन सामान्य लक्ष्यों के अन्तर्गत मानव तथा पारिस्थिकीय समुदायों की एकता और विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए और उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए तथा उनके विश्व स्तरीय सम्बन्धों को मान्यता देनी चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक स्तर की सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और समूहों का सहयोग सम्मिलित होता है। अतः इन गतिविधियों का लक्ष्य सहयोग और परस्पर लाभ के लिए अवसर पैदा करने पर होना चाहिए न कि प्रतिस्पर्धा और नियंत्राण पर जिसे मुट्ठीभर शक्ति सम्पन्न लोगों को लाभ मिलता हो। सहयोग का यह सिद्धान्त विश्व स्तर पर सामान्य लोगों और संसाधनों की रक्षा के लिए भी लागू करना चाहिए।

1.5.5 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सेवाओं का प्रावधान

केन्द्र सरकार को यह विश्वास करना चाहिए कि एक स्वस्थ्य नागरिक समाज के लिए मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र व उनकी सेवाओं की आवश्यकता है क्योंकि समुदायिक सेवा का दायित्व और आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। सरकार के स्वामित्व में रहते हुए भी ऐसी कुछ ऐजेंसियों नियमित रूप से कार्य कर सकेंगी। लेकिन समाज सेवा के दायित्व को पूरा करने का यह अर्थ है कि उनका लाभ इतना अधिक नहीं हो सकता जितना, अगर उन पर सामाजिक दायित्व बोझ न होता। एक नागरिक और न्यायसंगत समाज में इस तरह प्राप्त कम राजस्व को एक नागरिक और साम्य समाज पर आने वाला आवश्यक लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज सेवा के इन दायित्वों का वहन बिना लाभ के कम दर पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा कर किया जा सकता है। जैसे वृद्ध तथा रोगियों, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को सेवाएं देना।

ऐसी सेवाएं प्रायः स्वाभाविक रूप से एकाधिकरण वाली होती हैं क्योंकि उनकी एकल और अच्छी समन्वित कुशल प्रणाली होती है। इनमें जल आपूर्ति और वितरण, विद्युत सेवाएँ, रोजगार सेवाएँ, सामाजिक

और सांस्कृतिक सेवाएँ, दूरभाष और डाक सेवाएँ शिक्षा स्वास्थ्य, न्याय-पालिका, नगर आयोजना, पर्यावरण प्रबंधन, नीतिगत संरक्षण सेवाएँ, रेडियो और टेलीविजन सेवाएँ तथा रक्षा सेवाएँ शामिल होती हैं परन्तु सामुदायिक सेवाएँ इन्हीं तक सीमित नहीं होतीं। निःसन्देह सार्वजनिक सेवाओं को लगातार उपलब्ध कराना चाहिए। उनका विस्तार आम लोगों तक होना चाहिए। सभी सरकारी नीतियों और कार्यवाही प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में इन सेवाओं का प्रावधान होना चाहिए।

1.2 लक्ष्य

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए:

(क) स्वाभाविक एकाधिकारों और अन्य आवश्यक जन सेवाओं को सार्वजनिक स्वामित्व में रखना और जहाँ आवश्यक हो इस स्वामित्व को पुनः बहाल करना।

(ख) महानगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई सेवाओं की तरह, जहां तक सम्भव हो, ग्रामीण और सुदूर समुदाय को सेवाएं सुनिश्चित करना और इस तरह ग्रामीण समुदायों का जीवन स्तर तथा जीवन शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने को सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक ऐसे प्रतिपालनीय समाज के निर्माण में लगना होगा जिसमें जीवन स्तर को सबसे अधिक महत्वूपर्ण विषय माना जाता हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी नीतिगत प्राथमिकतायें निम्नलिखित हैं:

(क) काम और आय का बेहतर बँटवारा।

(ख) कराधान प्रणाली को अधिक समान बनाना।

(ग) उन्नत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था।

पर्यावरणीय प्रभावों की लागत का लेखा-जोखा रखने के लिए नीति और भारत के नवीनीकरण योग्य संसाधनों के प्रतिपालनीय उपयोग के लिए उपयोगी अर्थ व्यवस्था को अपनाने के लिए एक नीति - निदेशिका की आवश्यकता है।

हम सभी विशेष रूप से बिजली, जल और दूर संचार जैसे निजी क्षेत्र के उद्‌यमों के नियंत्राण और सावर्जनिक स्वामित्व को बनाए रखने का समर्थन करते हैं।

साथ ही साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता है। विश्व स्तरीय सहकारिता का उद्देश्य होना चाहिए:

(1) सामाजिक और पर्यावरणीय दशाओं में अन्तर पीढ़ी साम्यता के सिद्धान्त का कार्यान्वयन।

(2) विश्व के बहुमूल्य प्राकृतिक तथा अन्य दुर्लभ संसाधनों के असीमित उपयोग और प्रदूषण को बंद करना।

(3) संसाधनों में असंतुलन और गरीबी की समस्या का हल खोजना। साथ ही साथ हम

यह मानते हैं कि राष्ट्र सम्प्रभुता विश्व स्तरीय सहकारिता के लिए महत्वपूर्ण है।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार को निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए:

(क) आर्थिक विकास को (जैसा पराम्परिक तौर पर माना जाता है) कल्याण का मुख्य सूचक मानने को समाप्त करना तथा उसके स्थान पर वैकल्पिक सूचकों का विकास करना। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर उसे एकीकृत करना जिससे निरंतर निम्नलिखित प्रदर्शित होता है।

(1) लोगों के जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन,

(2) आय और धन के बंटवारे में परिवर्तन, और

(3) प्रतिपालनीय संसाधनों की सूची और फैलाव में परिवर्तन।

(ख) प्रतिपालनीय आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्रमुख औजार के रूप में कराधान नीति को अपनाना।

(ग) आय और श्रम पर टैक्स लगाने पर बल देने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों पर पारिस्थितिकीय कर लगाने पर ध्यान देना। इन नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी व्यापक बाहय लागत का अन्तरीकरण और राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति के उचित-वितरण की आवश्यकता।

(घ) व्यय नीतियों का लक्ष्य निर्धारण ताकि: सभी भारतीयों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हों।

गैर नवीनीकरणीय साधनों के स्थान पर नवीनीकरणीय संसाधन के उपयोग को प्रोत्साहन देना।

उद्योग की पुनर्संसरचना का समर्थन करना, और

(ङ) व्यापार और उसके संबंध में भारत में किये गये व्यापार करार की प्राथममिकता मानव कल्याण और पारिस्थितकीय प्रतिपालनीयता हो।

आयकर एवं अन्य कराधान नीति

1.1 सिद्धान्त

हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कराधान नीतियां आर्थिक नीतियों के अभिन्न अंग हैं। हम भारत सरकार से अपनी कराधान नीतियों के विशेष सिद्धान्तों पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं:

(क) राष्ट्रीय आय और धन के उचित वितरण की आवश्यकता।

(ख) पर्यावरणीय संसाधन समुदाय संसाधन हैं।

(ग) प्राकृतिक संसाधनों के अप्रतिपालनीय उपयोग के लिए अर्थ दण्ड और प्रतिपालनीय उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना।

(घ) सार्वजनिक सेवाओं के लिए संसाधनों का समुचित प्रावधान।

(ङ) पूर्ण रोजगार का समर्थन करना।

(च) श्रम पर कर कम करके और संसाधन प्रयोग व प्रदूषण पर कर बढ़ाने का दोहरा लाभ, और

(छ) सट्टेबाजी को निरुत्साहित करना।

1.2 लक्ष्य

केन्द्र सरकार का लक्ष्य सामाजिक समानता और पर्यावरण से सम्बन्ध रखने वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान को एक कुशल हथियार के रूप में प्रयोग करना हैं।

इस कार्य को वित्तीय लाभकारी सुधार के लिए कर राजस्व के उपयोग के द्वारा या स्वयं कराधान को एक परिचालन उपकरण के रूप में उपयोग करके किया जा सकता है। यह सरकार का उत्तरदायित्वा होना चाहिए कि वह समाज को कर प्रणाली के सामाजिक लाभ और कराधान प्रणाली के जरिये अपना योगदान करने की उसकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करें।

1.2.1 राजस्व उपकरण के रूप में कराधान

हमें अन्य पार्टियों की वित्तीय नीतियों को नामंजूर करना चाहिए। हम यह अनुभव करते हैं कि वित्तीय नीति सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिपालनीयता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में एक व्यापक भूमिका अदा कर रही है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़े।

केन्द्र सरकार की नई वित्तीय नीति का लक्ष्य निम्नलिखित के लिए राजस्व के समुचित आधार को बढ़ाना है:

(क) पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ उद्योगों में विकास के उचित स्तर के साथ प्रतिपालनीय अर्थव्यवस्था कायम करना।

(ख) सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित प्रतिपालनीय समुदायों का सृजन करना, और स्कूल, समुचित स्वास्थ्य सेवायें, सुरक्षित सड़कें और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसी सामुदायिक सेवाओं तक सभी की समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित करना।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय और ऋण के प्रभावी प्रबंध के लिए मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करना।

(घ) बजट के लिए राजस्व प्रदान करना जो तीसरी दुनिया की सहायता और प्राकृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ कार्यक्रम का प्रतिपालन कर सके।

(ङ) सामुदायिक सुविधाएं और मूलढांचा में नीतिगत पूंजी निवेश के लिए मंच प्रदान करना।

1.2.2 परिचालन उपकरण के रूप में कराधान

हरित अर्थव्यवस्था इंगित करती है कि कराधान का परिचालन उपकरण के रूप निम्न रूप से प्रयोग किया जाये:

(क) प्रकृति की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकीय कराधान ताकि हमारी पीढ़ी भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणाली दे सके। इस कर प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए और पर्यावरण के लिए विनाशकारी व्यवहार को दण्डित करना चाहिए। इसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रतिपालनीय प्रयोग को प्रोत्साहन देना

चाहिए।

(ख) प्रगतिशील कराधान राष्ट्रीय साम्यता की नीति का एक अंग है।

(ग) अल्प भौतिक संसाधनों के उपयोग और वित्तीय सट्टेबाजी पर कराधान का भार होना चाहिए न कि श्रम पर।

(घ) कर को विदेशी ऋण और विदेशी सट्टेबाजी को कम करने का जरिया होना चाहिए।

(ङ) घरेलू, बचत, रोजगार और उत्पादित निवेश को कर द्वारा बढ़ावा मिलना चाहिए।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

केन्द्र सरकार को पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों वाले मजबूत बजट का समर्थन करने के लिए करों में वृद्धि का समर्थन करना चाहिए।

1.3.1 व्यक्तिगत आय कर

व्यक्ति की निजी आय पर न्यूनतम दर पर कर निर्धारण को प्रतिगामी बनाने की जरूरत है। फिलहाल निम्न से मध्य आय वर्ग के करदाता उन करदाताओं के, जिनकी अधिक आय है और जिनका कर बचाने के तरीके के और योजनाओं को अच्छा ज्ञान है, के अनुपात में ज्यादा कर अदा करते है। यह व्यवस्था अधिकतर भारतीयों के हक में नहीं है। हम मानते हैं कि करदाता सामान्यतया कर वंचना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते। कर वंचना से भारत के राजस्व आधार को नुकसान पहुँचा है।

हम यह भी मानते है कि करदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि की जा सकती है यदि ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनकी कुछ आय है, आयकर अदा करने के विषय में सही ढंग से शिक्षित किया जाये। इसके अन्तर्गत व्यक्ति, व्यापार संगठन, निगमित निकाय, सहकारिता, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ आती हैं। आयकर अदा करने का एक सरल तरीका होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति विकासशील कार्यों के लिए सरकार के बैंक खाते में कर की सही राशि जमा कर सके। लोगों को डर रहता है कि यदि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानक स्तर पर भी कर अदा करें तो भी उन्हें कर अधिकारियों द्वारा तंग किया जायेगा और उन्हें आगे चलकर अधिक कर अदा करना पड़ेगा।

1.3.2 अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार

हम विद्यमान विक्रय कर प्रणाली में सुधार लाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करते हैं और चाहते हैं:

(क) संसाधनों के कार्य-कुशल उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करना, उदाहरणार्थ सामग्री और उपस्कर का पुनः प्रयोग करना।

(ख) पारस्थितिकीय घटक के साथ करों पर जोर देने सहित कार्य-कुशलता और पारदर्शिता बढ़ाना, और

(ग) विलासिता की वस्तुओं के लिए उच्च दरों के माध्यम से कराधान को अधिक प्रतिगामी बनाना।

1.3.2 पारिस्थितिकीय कर

केन्द्र सरकार पारिस्थितिकीय कर में सुधार को कर सुधार पैकेज़ का मुख्य तत्व मानती

है। पारिस्थितिकीय करों की मांग के अनुरूप संसाधन उपयोग और निपटान की लागत को मूल्य में समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है ताकि संसाधन का बेहतर प्रयोग प्रोत्साहित हो और प्रदूषण में कमी आए। हमें पारिस्थितिकीय करों को शुरू करने का समर्थन करना चाहिए, हालांकि हम मानते है कि पर्यावरणीय मूल्यों को केवल रुपये और पैसे में नहीं आँका जा सकता है।

पारिस्थितिकीय करों का उद्देश्य निम्नलिखित का समाधान करना है:

1. संसाधनों की बेतहाशा खपत की समस्या।
2. बढ़ते प्रदूषण की समस्या जिससे वायु, जल और मृदा का गुण ह्रास हो रहा है।

हमारा मानना है कि समुचित कर दरों को लागू करने और कर मिश्रण से अन्तर पीढ़ीगत समानता को प्रोत्साहन मिलेगा।

हम सभी उपकरों के पैकेज को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे ताकि व्यक्तियों और उद्योग के लिए प्रोत्साहनों और जुर्मानों दोनों की व्यवस्था हो सके और उन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में प्रोत्साहन मिले जिनसे कम से कम अवशिष्ट पैदा होता है तथा जिनसे दोबारा प्रयोग होने वाली सामग्री और दोबारा प्रयोग योग्य सामग्री का उत्पादन होता है।

इनके अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) धातु, कोयला और लकड़ी सहित प्राथमिक वस्तुओं पर स्रोत उपकरों को लागू करना। इन उपकरों का आंकलन प्रयुक्त स्रोत की मात्रा पर की जानी चाहिए न कि यदा-कदा प्राप्त लाभ पर।
(ख) वन और जल संसाधनों की प्रयुक्त मात्रा पर उपकर ताकि उनमें सूक्ष्म और तात्त्विक सहित अन्य पर्यावरणीय मूल्यों की झलक मिल सके।
(ग) सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड और सभी धातुओं जैसे जहरीले पदार्थों के पर्यावरण में उत्सर्जन पर प्रदूषण उपकर लगाना।

हम सभी यह भी करेंगे:

(क) प्रदूषण फैलने वाली प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के परिवर्तन के लिए कर छूट का प्रोत्साहन,
(ख) पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां जैसे संसाधन खपत और प्रदूषण पर सरकारी छूट और कर रियायत समाप्त करना, और
(ग) पारिस्थितिकीय कर राजस्व का प्रयोग श्रम पर लगे कर समाप्ति से हुए घाटे को पूरा करने पर करना ताकि पारिस्थितिकीय कर सुधार से प्राप्त होने वाले दोहरे लाभ को अधिकतम किया जा सके और रोजगार तथा उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.3.3 परिवहन

हमें यह निम्नलिखित कार्य भी करने होंगे:

(क) अधिक ऊर्जा कुशल वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कारों और ट्रकों पर लगने वाले चालू अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में परिवर्तन के लिए कार्य करना।
(ख) सीमान्त कराधान प्रणाली में परिवर्तन का प्रस्ताव करना ताकि नियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के चालन पर समुचित रूप से और समान रूप से कर लगाया जा सके।
(ग) मोटर वाहन के पंजीकरण और अनिवार्य तीसरी पार्टी बीमा पर लगने वाले शुल्क के बदले ईंधन पर कर लगाना ताकि कार के मालिक उतना ही कर दें जितनी कि वे कार से यात्रा करते हैं तथा उनकी आय और उनके निवास स्थान के आधार पर उन्हें दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जा सके।
(घ) ईंधन पर उत्पाद शुल्क बनाये रखना और साथ ही साथ खनन और वानिकी उद्योगों को दी जाने वाल छूट में भरपूर कमी करना।

1.3.4 ऊर्जा
हम नीति के ढाँचे में वर्णित उद्देश्यों के समर्थन के लिए ऊर्जा क्षेत्रा में कराधान संरचना में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव करेंगे:

(क) सार्वजनिक परिवहन में सुधार और विस्तार।
(ख) वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों का विकास जैसे सौर्य तापीय बिजली, फोटोवोल्टिक और पवन बिजली।
(ग) रोजगार पर करों को कम करना जैसे वेतन-चिट्ठा कर।
(घ) उपकर के प्रतिगामी प्रभावों के लिए निम्न आय वर्ग की क्षतिपूर्ति करना।

1.3.5 कृषि
हम पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय पद्धतियों को अपनाने का समर्थन करने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के लिए कराधान संरचना में बदलाव का प्रस्ताव करेंगे।

1.3.6 शहरी आयोजना
हमारे शहरों का विकास बेतरतीब ढंग से हुआ है। इसका लोगों और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। हमें निम्नलिखित योजनाओं का समर्थन करना चाहिए:
(क) पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ्य आवास विकास पर कर प्रोत्साहन।
(ख) बेढंगे शहरी फैलाव के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रियायतों को खत्म करना।

वित्त, ऋण प्रबंध और मुद्रा स्फीति नीति

1.1 सिद्धान्त
अनियंत्रित वित्तीय प्रणाली सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिपालनीयता के अनुकूल नहीं है। सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार को अपनी ही शर्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के साथ पारस्परिक कार्रवाई करनी चाहिए।

इसके लिए निम्नलिखिति की आवश्यकता होगी:
(क) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बाजार नियंत्रण की बजाए लोकतांत्रिक नियंत्राण,
(ख) सरकारी धाटे के लिए घरेलू वित्त व्यवस्था,
(ग) विदेशी विनिमय प्रबन्धन की प्रभावकारी प्रणाली,
(घ) विदेशी स्वामित्व और ऋण में कमी, और
(ङ) प्रतिपालनीय वित्तीय प्रणाली की ओर अग्रसर होना जो वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिना मुद्रा स्फीति और अधिक ऋण बोझ के अपनी सम्पूर्ण रोजगार शक्ति पर दशक-दर-दशक बरकरार रहे।

1.2 लक्ष्य
इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है:
(क) भारतीय उद्यमों के विदेशी स्वामित्व को कम करना।
(ख) रोजगार और आय का अधिक समान रूप से वितरण ।
(ग) ॠण और ब्याज दर पर नियंत्रण।
(घ) निम्न मुद्रास्फीति।
(ङ) एक गारंटी शुदा पर्याप्त आय द्वारा समर्थित पूर्ण रोजगार।
(च) बेहतर वित्त पोषित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा।
(छ) समुचित आर्थिक निगरानी, परिमापन और लेखा पद्धतियां।
(ज) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ॠण में कमी।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

(क) विदेशी पूंजी की विस्तृत निगरानी और विनियमन,
(ख) आयात प्रतिस्थापन उद्योगों और उद्यमों में विदेशी पूंजी का निवेश जो राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, और
(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा परिवर्तन मूल्यों को कम करने के लिए निर्यात और आयात की कीमतों पर सख्त निगरानी रखना।

हम समाज द्वारा नियंत्रित निवेश सुविधाओं की स्थापना और प्रयोग का समर्थन करेंगे जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों के द्वारा विदेशी कर्ज पर निर्भर न रहने के लिए सीधे निवेश का प्रबंध करती है। नीतिगत उपक्रमों में निवेश जो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिपालनीयता पर बल देता है, को प्रोत्साहित किया जायेगा। हम इन उपायों और सहायता को समर्थन देने के लिए अवसरों के क्षेत्रा का पता लगायेंगे:
(क) हमें नागरिकों और संगठनों को अपनी बचत को नीतिगत निवेश में लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाने होंगे।
(ख) उत्पादक उद्यमों में निवेश के लिए ॠण सहकारिता संगठनों के अधिकार।

1.3.4 मुद्रा स्फीति

हम मुद्रा स्फीति के कारणों को अलग-थलग करने का समर्थन करेंगे ताकि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से लाभप्रद लागत वृद्धि में भेद किया जा सके यथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का वास्तविक मूल्य और जो ऐसा नहीं है, उनके बीच का अन्तर।

विश्व व्यापार और निवेश संबंध नीति

1.1 सिद्धान्त

1.4.1 उद्देश्य

हम प्रबंध पर आधारित व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश की उस नीति का समर्थन करते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों को यह अधिकार है और उनका कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आयात और निर्यात सहित उनकी खपत और उत्पादन प्रतिपालनीय है।

यह सिद्धान्त जो मूल रूप से निवेश पर प्रस्तावित बहुपक्षीय करार से भिन्न हैं, अपेक्षा करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश निम्नलिखित उद्देश्यों का समर्थन करते हैं:

(क) स्थानीय रोजगार और श्रम स्थितियों की रक्षा करना।

(ख) आर्थिक और राजनीतिक असुरक्षा को कम करना।

(ग) उद्योग के विविधीकरण के प्रयास को प्रोत्साहन।

(घ) स्थानीय प्रौद्योगिकियों के विकास को अनुमति देना।

(ङ) पर्यावरण की रक्षा करना।

1.1.2 व्यापार के लाभ

हम यह मानते हैं कि विदेशी व्यापार और निवेश निम्नलिखित लिहाज से लाभप्रद हैं:

(क) कौशल और प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण, जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नहीं है,

(ख) उपयोगी सामान और सेवाओं के आयात की अनुमति देना,

(ग) नवीन प्रणालियों को प्रोत्साहित करना और नई पद्धति और उच्चतर मानकों को अपनाना,

(घ) उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाकर और ऐसी प्रौद्योगिकी का आयात करके कार्य-कुशलता को बढ़ावा देना जिनसे नए समान और सेवाओं का स्थानीय उत्पादन संभव होता है, और

(ङ) विकसित देशों के साथ व्यापार के स्वच्छ अवसर देना, खासकर विकासशील देशों को।

1.1.3 व्यापार की समस्याएँ

तथापि हम असावधानीपूर्वक नियमित विदेश व्यापार और निवेश के सम्भावित नकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत है, जैसे बहुपक्षीय निवेश करार। इसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

(क) राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुसत्ता को नुकसान खासतौर से रोजगार, कराधान, मुद्रास्फीति, शुल्क, मजदूरी नीति के संबंध में।

(ख) एक पक्षीय पर्यावरणीय पहल करने में राष्ट्रों की इस डर से हिचक कि इससे राष्ट्र

विशेष की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में अनुचित रूप से कमी आयेगी।

(ग) उन उद्योगों में विशिष्टता लाने को प्रोत्साहित करना जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात का लाभ है जबकि उन उद्योगों को छोड़ देना जो विदेशी आयात का मुकाबला नहीं करते।

(घ) उन आयातों के जरिये स्थानीय संस्कृति पर आघात करना जिनमें एक मजबूत सांस्कृतिक तत्व है जैसे फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संगीत और खाद्य पदार्थ।

(ङ) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए देशों पर दबाव डालना कि वे पर्यावरणीय अस्थिरता पैदा करने वाली अथवा सामाजिक रूप से असंगत पद्धतियों को न अपनायें जिनसे विश्व स्तर पर आम लोगों का नुकसान पहुँचता है।

(च) भारत सहित अनेक देशों को उत्तरोत्तर बढ़ते विदेशी कर्जे के शिकंजे में कसना जिसमें उनके विदेशी ॠण के ब्याज तेजी से बढ़ता जाये।

(छ) परिवहन उपयोग में विश्व स्तरीय वृद्धि करना जो कि पर्यावरण के लिए विध्वंसकारी है।

(ज) बहुदेशीय कम्पनियों को विश्व व्यापार और निवेश पर अधिकाधिक आधिपत्य जमाने को छूट देना जो कि अनेक मामलों में प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध है।

(झ) विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की इच्छानुसार पुनर्संरचना करने के लिए मजबूर करना जो प्रायः सामाजिक धुरवीकरण को जन्म देते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली तथा सम्बद्ध संस्थानों का समर्थन करते हैं जिनमें राष्ट्र अधिकतम विश्व समानता और पारिस्थितिकीय स्थिरता के लिए कार्य करते हैं। हम विनिमय को भी प्रोत्साहित करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था और समाज का विकास होगा और वे पारिस्थितिकीय रूप से प्रतिपालनीय और आत्मनिर्भर होंगे और इसलिए बाह्य राजनैतिक और आर्थिक दबाव के सामने असुरक्षित नहीं रहेंगे।

1.2 लक्ष्य

हमारी मान्यता है कि व्यापार और निवेश का हर मुद्दा विशेष ढंग से निपटाया जाना चाहिए। व्यापार और निवेश के हर मुद्दे के सामजिक और पर्यावरणीय मूल्य और लाभ को देखते हुए और यह मानते हुए विदेशी व्यापार और निवेश के अपने खतरे और लाभ हैं हम ऐसी नीति का अनुसरण करेंगे जिससे निम्न को प्राप्त किया जा सके,

(क) अप्रतिपालनीय तथा सामाजिक रूप से अन्यायसंगत पद्धतियों द्वारा तैयार किये गये सामानों और सेवाओं का व्यापार सीमित करना,

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यापार संगठनों का विस्तार करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों में भाग लेना,

(ग) सकल विदेशी कर्ज और वर्तमान लेखा घाटा में कमी लाकर भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना, और

(घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियमन को बढ़ावा देना।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के द्वारा नहीं हो सकती है। इसके लिए निम्न अल्प-अवधि के लक्ष्यों का भी समर्थन करना पड़ेगा।

1.3 लघु अवधि के लक्ष्य

1.3.1 दूसरे देशों के पहल तथा कम उत्पादन लागत से देशों द्वारा लाभ उठाने तथा आमतौर से अधिक से अधिक विश्व सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सकारात्मक हो सकते हैं। परन्तु आर्थिक असुरक्षा तथा परिवहन और संचार के वैश्विक ऊर्जा की एक बहुत बढ़ी मात्रा की खपत वाले देश की दृष्टि से यह नकारात्मक भी हो सकते हैं। भारत जैसे देश अपने विश्व व्यापार और निवेश नीति में भी अलगाववादी नहीं हो सकते और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन इन देशों को कमजोरी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था पर उस हद तक आश्रित नहीं होना चाहिए कि कोई भी शर्त उन्हें स्वीकार करनी पड़ जाये। इसके बजाय उन्हें मजबूती के साथ बातचीत करनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना होगा। हम विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश सदैव पारदर्शी और पूर्णयता जवाबदेह होने चाहिए और व्यापारिक समूहों द्वारा नियंत्रित नहीं होने चाहिए।

हम यह भी विश्वास करते हैं कि आत्मतौर पर संसाधनों के खपत को प्रतिपालनीय बनाने के लिए आवश्यक वातावरण के अन्तर्गत अन्तर्राट्रीय व्यापार और निवेश होना चाहिए। पर्यावरण के दोहन की कीमत पर व्यापार का उदारीकरण कभी नहीं होना चाहिए।

1.3.2 उचित व्यापार और विश्व व्यापार संगठन का सुधार

हम विश्व व्यापार संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन में सुधार को सुनिश्चित करने का समर्थन करते हैं:

(क) पर्यावरण और सामाजिक समझौतों की आवश्यकता को पूर्णतया स्वीकार करना।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य पर्यावरण और सामाजिक क्रियाकलापों के अनुरूप देशों द्वारा बहुपक्षीय व्यापार समझौता में सुधार करना।

(ग) विश्व व्यापार संगठन और दूसरे संगत-संगठनों के स्तर पर ऐसे कदम उठाने जिनसे गरीब देशेां में खाद्य सुरक्षा बढ़े और जिन्सों की मूल्यों में स्थिरता तथा सुधार के लिए उन्हें मदद मिल सके।

(घ) दूसरे औद्योगिक देशों को निर्यात करने के लिए तम्बाकू और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के बजाये गरीब देशों द्वारा आर्थिक प्राथमिकता के आधार पर अपने स्वयं के खाद्यान्नों पैदा करने का समर्थन करना।

(ङ) उन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर

व्यापार समझौता जिनसे विकासशील देशों के अधिकारों को संरक्षण मिलता है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार दे सकने योग्य कीमत पर प्रौद्योगिकी का आयात कर सकें तथा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अथवा उनके लोगों द्वारा संरक्षित या विकसित आनुवांशिक संसाधनों का उचित मूल्य मिल सके।

(च) विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रियाओं और नियमों में संशोधन लाना ताकि उनमें पारदर्शिता लाने तथा समाज में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

(छ) दो या अधिक ऐसे देशों के बीच सामानों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को रूप से प्रति-व्यापार को प्रोत्साहन देना जिके पास आयात की कीमत चुकाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का कोष नहीं हो।

(ज) पारिस्थितिकी प्रतिपालनीयता और सामाजिक न्याय व मदद के सिद्धान्तों पर आधारित व्यापार प्राथमिकता दर्जा का विकास करना।

हम निम्नलिखित का भी समर्थन करेंगे:

(क) विनाशकारी अपशिष्टों (नाभकीय अपशिष्ट सहित) और विनाशकारी पुनर्चक्रीय अपशिष्टों के संचालन पर व्यापक रोक लगाना।

(ख) इसे प्राप्त करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी का विकास ओर हस्तांतरण।

(ग) दूसरे विकसित और विकाशील देशों पर उनके बुरे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के मद्देनजर विकसति देशों में कृषि पर सरकारी छूट की समीक्षा करना।

1.3.3 फिलहाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों लगभग दो-तिहाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों और अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय निवेश पर नियंत्राण है। बहुपक्षीय निवेश समझौता लागू होने के बाद उनके प्रभुत्व में और अधिक बढ़ोतरी होगी। विश्व अर्थ-व्यवस्था में वे एक ताकवर शक्ति बन गये हैं और अधिकतम वित्तीय लाभ के लिए वे एक देश को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा करने का खेल खेलते हैं।

हम निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देंगे:

(क) पर्यावरणीय प्रभाव और उसकी प्रतिपालनीयता, सामाजिक प्रभाव, श्रमिक संबंधों और जनतांत्रिक भागीदारी का दृष्टि से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंध पर नियंत्रण रखने को बढ़ावा देना।

(ख) विकासशील देशों से केवल उन सामानों के आयात को बढ़ावा देना जो मूल देश में अच्छी मजदूरी, बेहतर कार्य करने की दशा, पर्याप्त खाद्य आपूर्ति और पर्यावरणीय प्रतिपालनीयता की मौलिक शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) उन सामानों के आयात पर प्रतिबंध का समर्थन करना जो बाल मजदूरों का शोषण करके तैयार किये जाते हैं, और

(घ) उन उपयों का का पता लगाना जिनके द्वारा सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यापार व्यवहार में

सुधार ला सकें। इसमें भारत में एकाधिकार व्यापार निरोधक कानून भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विनियम पर बिना किसी प्रकार के नियंत्राण के दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता है और भारत की बेहतर छवि के लिए देश पर विदेशी कर्ज को सीमित करने में सरकार की भूमिका है। विदेशी ऋण को कम करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों की मदद से एक ऐसी राष्ट्रीय विकास की नीति अपनाने के लिए शोध किये जाने चाहिए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज लिये बिना ही एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनायी जा सके। हम राष्ट्र के विदेशी कर्ज को नियमित ढंग से सीमित करने के लिए उपलब्ध साधनों के बारे में जांच करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(क) भारत सरकार द्वारा कठोर नियंत्रण लगाना। इसमें एक स्वतंत्र नियंत्रक प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल है जो सभी विदेशी निवेशों और उनके परिणामों के विभिन्न रूपों का स्पष्ट आंकलन के लिए सभी निवेश के प्रस्तावों की जाँच करेगा।

(ख) आयात कर और सीमा शुल्क लगाना, और

(ग) वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना।

मानव अधिकार एवं कर्तव्य शिक्षण नीति

1.1 सिद्धान्त

हम यह विश्वास करते हैं कि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है:

(क) सभी देशों में मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान किया जा रहा है।

(ख) आर्थिक या राजनैतिक स्वार्थ के लिए मानवाधिकार पर किसी प्रकार समझौता न हो।

(ग) लोकतांत्रिक संस्थानों को मूल मानवाधिकार के रूप में मान्यता देना।

(घ) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी पहचान के साथ सार्वभौमिकता और आत्म निर्णय के अस्तित्व के लिए कार्य करना।

1.2 उद्देश्य

हम उन नीतियों को अपनायेंगे जो:

(क) मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाली सरकारी तंत्र के साथ सहयोग न करें।

(ख) मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले दूसरे देशों के साथ क्रियात्मक सहयोग करें।

(ग) मानवाधिकार का विरोध करने वाल तंत्रों पर कूटनीतिक एवं व्यापारिक दबाव डालें ताकि यह सुनिश्चिय हो सके कि वे कि अपने नागरिकों के मूलाधिकारों का सम्मान करते हैं।

(घ) जिन देशों में मानवाधिकारों का हनन हो उनके साथ संबंध रखते समय कमजोर समुदायों की हितों को सबसे अधिक ध्यान में रखें।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संरचना के जरिये उपनिवेशवाद को खत्म करने का समर्थन

करना। उपनिवेशीय विवादों को हल करने के लिए दबाव डालना।

(च) मानव अधिकारों के क्षेत्रा में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका को विशिष्ट और कारगर बनाना।

(छ) सर्वाधिकारवादी नियंत्रण से मुक्त होने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के अन्तर्गत लोकतांत्रिक और आर्थिक सुधारों का समर्थन करना।

पर्यावरण प्रतिपालनीयता नीति

1.1 सिद्धान्त

हम भू-पर्यावरण और इसकी जैविक विविधता के सरंक्षण को इसके खुद के मूल्यों और मानव जीवन के अस्तित्व और खुशी के लिए उसकी आवश्यकता दोनो लिहाजों से समर्थन देंगे।

1.2 लक्ष्य

हम निम्नलिखित लक्ष्यों को पृष्ठांकित करेंगे:

(क) भारत और समूचे विश्व में वनों की कटाई को रोकने ओर वन रोपण के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों का समर्थन। इसके अन्तर्गत अप्रतिपालनीय पेड़ो की कटाई को समाप्त करना और मानवीय क्रियाकलापों के लिए भूमि का बेहतर उपयोग शामिल है। यह कार्य मांस और डेयरी उत्पादों की कम खपत को विशेष रूप से सम्पन्न देशों में प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

(ख) भूसंरक्षण को कम करने के वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन न देना।

(ग) समुद्र में जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने को अन्तर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा समाप्त करना।

(घ) सामुद्रिक और वातावरण प्रदूषण को कम करने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना।

(ङ) अपशिष्टों के व्यापार को समाप्त करने के लिए चलाये जा रहे अभियानों का समर्थन करना।

(च) संकटग्रस्त जानवरों का शोषण तथा उनसे संबंधित व्यापार को समाप्त करने के प्रयास को समर्थन देना।

(छ) विकासशील देशों में पर्यावरण प्रतिपालक प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को समर्थन देना।

(ज) विश्वस्तरीय महत्व के पर्यावरण के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के समान निर्णय क्षमता सम्पन्न पर्यावरण परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत स्थापना का समर्थन करना।

1.3 अल्प अवधि के लक्ष्य

हम निम्नलिखित लक्ष्यों का भी समर्थन करेंगे:

(क) वर्षा जंगल का शोषण रोकने के तत्काल उपाय करना। इस शोषण से समृद्ध जैव-पद्धति और जंगलों के मूल निवासी विस्थापित हुए हैं तथा सम्भवतः उनका नाश हुआ है।

(ख) समुद्र में नाभकीय कचरे को डालने की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास करना।

(ग) ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन और ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना।
(घ) विदेशों में काम कर रहे भारतीय कम्पनियों और सरकारी अभिकरणों और व्यापारिक उपक्रमों के लिए ऐसा कानून बनाना जिसके अन्तर्गत उनके लिए यह लाजिमी हो कि वे वहाँ वे सामाजिक और पर्यावरण के मानकों को उसी चुस्ती और कठोरता से अपनायें जैसा कि वे भारत के भीतर करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय ॠण संकट निदान नीति

1.1 सिद्धान्त
हमारी यह मान्यता है कि पुराने ॠण की पुनःअदायगी की राशि नये ऋण से अधिक हो गई है और इस तरह विकासशील देशों से विकसित देशों को जाने वाली सकल धन राशि अधिक हो गयी है।

1.2 लक्ष्य
हम इस बात का समर्थन जुटाने के लिए गहन प्रयास करेंगेः
(क) विकासशील देशों का सारा ॠण माफ कर दिया जाना।
(ख) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मौलिक सुधार करना या एक नये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण संस्थान की स्थापना करना जिसका प्रबंधन एक ऐसे बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें कर्ज लेने वाले विकासशील देशों और ॠण देने वाले पश्चिमी देशों का तथा महिला और पुरुषों का कुल मिलाकर संतुलित प्रतिनिधित्व होगा।
(ग) आर्थिक विकास की ऐसी नीति बनाने के लिए विकासशील देशों को प्रोत्साहित देना जो आत्म-निर्भरता और स्थानीय स्रोतों से सामानों और सेवाओं के उत्पादन को प्राथमिकता देती हो।

शान्ति और सुरक्षा नीति

1.1 सिद्धान्त
हम निम्न के लिए प्रतिबद्ध है किः
(क) दूसरे देशों, लोगों और क्षेत्रों में साफ सुथरा और न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय संबंध का विकास करना।
(ख) अपने अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधों में सकारात्मक शान्ति को शामिल करना।
(ग) पारस्परिक सैन्य संरचना के रख-रखाव द्वारा युद्ध का डर दिखाने के बजाय मतभेदों को दूर करना।
(घ) घरेलू और विदेश स्तर पर भारत की विदेशी और सुरक्षा संबंधों में अत्यधिक पारदर्शिता लाने को सुनिश्चित करना।
(ङ) उन लोगों और संगठनों के साथ काम करना जो इस उद्देश्य के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले और लोकतांत्रिक तौर पर कार्य करते हैं।
(च) एक ऐसे प्रतिपालनीय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कार्य करना जिसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विवादों को रोकने, अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और विवादों को सुलझाने की अहिंसावादी नीति का समर्थन मिलता हो तथा जो हमारे क्षेत्रा के विवादों के

स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयामों को स्वीकार करता हो।

(छ) क्षेत्रीय असैन्यीकरण की शर्त पर भविष्य की कल्पना की शक्ति।

(ज) शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय सुरक्षा बलों में सुधार लाना ताकि वे इस प्रकार से प्रशिक्षित और सुसज्जित हों कि वे शांति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रतिपालनीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में उचित भूमिका निभा सकें।

(झ) अनिवार्य सैनिक सेवा का विरोध करते रहना।

1.2.1 क्षेत्रीय और विश्वस्तरीय असैन्यीकरण की दिशा में काम करना

हम निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(क) जैविक, रसायन और नाभकीय शस्त्र प्रौद्योगिकी के निर्माण और निर्यात को रोकने और कम करने के लिए विश्व स्तर पर की पहल में शामिल होना।

(ख) एशिया प्रशान्त क्षेत्र में नाभकीय शस्त्र परीक्षण के सन्दर्भ में विश्वव्यापी नाभकीय शस्त्रों के परीक्षण पर रोक के लिए व्यापक संधि का समर्थन करना।

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन का आयोजन करने के माध्यम से सभी नाभकीय शस्त्रों और उनके लक्ष्य पद्धति को समाप्त करने तथा नाभकीय शस्त्रों के अप्रसार के लिए कार्य करना।

(ङ) अंतरिक्ष में सैन्यीकरण पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध को समर्थन करना।

4.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार और सैन्य सहायता प्रावधान के खिलाफ संघर्ष करना।

हम निम्न नीतियों का समर्थन करेगी:

(क) सुनिश्चित करना कि भारत निर्यात के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों का निर्माण न करे।

(ख) सभी दुहरे उपयोगी (नागरिक और सैन्य) प्रौद्योगिकी का रजिस्टर बनाना जिनका भारत निर्यात कर सकता है तथा व्यापक सुरक्षा विचारों का समर्थन करना जैसे हमारे व्यापारिक भागीदार देश के मानवाधिकार रिर्काड के संदर्भ में व्यापार को सीमित करना।

(ग) एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में विदेशी सैन्य सहायता समाप्त करने के लिए दूसरे देशों को प्रोत्साहित करना।

(घ) भारत में सैन्य व्यापार मेला समाप्त करना और ऐसे उपाय करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तालमेल करना। और

(ङ) एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में शस्त्र व्यापार का वास्तविक और विस्तृत रजिस्टर बनाना और क्षेत्रीय और संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वैकल्पिक निशस्त्रीकरण पहल के लिए काम करना जिसमें सत्यापन की अनिवार्यता हो।

1.2.3 क्षेत्रीय विश्वास और शान्ति कायम करना

हम निम्न नीतियों का समर्थन करेंगे:

(क) क्षेत्रीय सुरक्षा संबंध विकसित करना जो शान्ति और विश्वास कायम करते हैं तथा ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए कार्य करते

हैं जो आगे चलकर हिंसक अन्तर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं।
(ख) मानवाधिकार की सुरक्षा और विकास, न्याय संगत और समान क्षेत्राीय व्यापार व्यवस्था, उदार और समुचित विदेशी सहायता कार्यक्रम और मजबूत बहुराष्ट्रीय पर्यावरणीय सुरक्षा की प्रतिपालनीय संरचना जो क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा का आधार हो।
(ग) सुनिश्चित करना कि एशिया-प्रशान्त क्षेत्र और उनके वैध नागरिकों की अन्तर्राष्ट्रीय कानून और विवाद को सुलझाने की मशीनरी तक सहज पहुँच है।

1.2.4 क्षेत्रीय विवाद निवारण
हम निम्न नीतियों को प्रोत्साहित करेंगे:
(क) सुरक्षा, विदेश और मानव संसाधन विकास (शिक्षा) मंत्रालयों द्वारा परस्पर संबंधित विश्वव्यापी सुरक्षा उपायों का प्रचार करना।
(ख) भारत के क्षेत्रीय कूटनीति संबंधों के नेटवर्क द्वारा संभावित विवाद की स्थितियों में प्रभावी - कूटनीति द्वारा हस्तक्षेप करना और जहाँ उचित हो वहाँ क्षेत्रीय संस्थानों तथा संयुक्त राष्ट्र के जरिये हस्तक्षेप करना।
(ग) गंभीर विवादों की स्थिति को बचाने के लिए विवाद निवारक बलों की तैनाती करना। जहां कहीं उचित हो संयुक्त राष्ट्र या संबंधित क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विवाद के सभी पार्टियों के सहयोग से निरीक्षकों, पुलिस तथा आर्थिक सहायता और मदद कार्मिकों की सहायता से विवाद सुलझाना।
1.2.5 शान्ति कायम करने और शान्ति कायम करने के साथ शान्ति बरकरार रखने के बीच सम्बन्ध जोड़ना
हम निम्न नीतियों का समर्थन करेंगे जो:
(क) भारत की विदेशी और सुरक्षा संबंधों का इस तरह से प्रबंध करना जिससे जाहिर हो कि शान्ति कायम करना और शान्ति बरकरार रखना किसी क्षेत्रीय विवाद के प्रबंध की सरंचना के महत्वपूर्ण तत्व हैं तथा इसमें शान्ति बनाये रखने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समावेश हो सकता है।
(ख) विवाद प्रबंध के लिए शान्ति कायम करने, बरकरार रखने और विश्व के प्रयास को जोड़ने के लिए समेकित नीति विकसित करना।
(ग) शान्ति कायम रखने की समुचित रणनीति का विकास आन्तरिक तौर पर अथवा संचुक्त राष्ट्रसंघ के जरिये किया जा सकता है।
(घ) नये क्षेत्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र में सुधार के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाने की क्षमताओं में व्यापक विकास की तत्कालिक आवश्यकता पर ध्यान देना।

1.2.6 प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही
हम व्यापार प्रतिबंध को निम्न तरह से लगाये जाने को सुनिश्चित रखने के लिए कार्य करेंगे:
(क) संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अन्तर्गत किया जाये।
(ख) विवाद समाधान की समुचित नीति के साथ जुड़ा हो।

(ग) जितनी तेजी से संभव हो लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में इसे कठोरता से लागू किया जाये।

1.2.7 सैन्य बाध्यता कार्यवाही

हमारी नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति और सुरक्षा के लिए अधिक कारगार तरीके के रूप में अहिंसात्मक विवाद प्रबंधन के व्यापक नीति का समर्थन करेगी जिसमें सैनिक कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को उन देशों के खिलाफ लागू करने के माध्यम के रूप में देखा जाये।

1.2.8 असैन्यीकरण के अनुश्रवण हेतु अभिकरण की व्यवस्था:

(1) असैन्यीकरण का अनुश्रवण करने के लिए एक अभिकरण की स्थापना।

(2) क्षेत्रीय शस्त्र नियंत्रण तथा निरस्त्रीकरण उपायों की निगरानी और / या समन्वयन करना।

(3) हथियार व्यापार का अनुश्रवण तथा उसके खिलाफ कार्य करना।

(4) शस्त्र परीक्षण और सैनिक अभ्यास को सीमित करना।

(5) क्षेत्रीय हथियार रूपान्तरण नीति का समन्वयन, और

(6) पूरे विश्व में अहिंसात्मक विवाद प्रबंधन और शान्ति शिक्षा की संस्कृति विकसित करना।